

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276186
CG-DL-E-15092026-276186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948
No. 550]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026.

सं. जेड-1011/16/2025/एनसीएचपी(एचएस).— राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (च), खंड (ट) और खंड (ढ), धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 19, धारा 32 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 33 की उपधारा (4), धारा 36 की उपधारा (2) तथा धारा 39 के साथ पठितधारा 66 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (थ) तथा खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "अतिरिक्त अर्हता" से ऐसी उच्चतर अथवा अन्य मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्रेत है, जिसे कोई रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति में अर्जित कर सकता है और जिसे केंद्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किया गया हो;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" से वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है, जिसमें डिजिटल प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित है, जो आयोग अथवा राज्य परिषद् द्वारा किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक का क्रमशः केंद्रीय रजिस्टर अथवा राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होने पर जारी किया जाता है; और "केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" और "राज्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(घ) "अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" से वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है, जो आयोग द्वारा किसी विदेशी अर्हताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक अथवा किसी प्रायोजित विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने पर जारी किया जाता है;

(ङ) "डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र" से वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है, जो किसी रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में, यथास्थिति, आयोग अथवा राज्य परिषद् द्वारा जारी किया जाता है; तथा "केंद्रीय डुप्लीकेट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" और "राज्य डुप्लीकेट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(च) "समतुल्यता प्रत्यय पत्र मूल्यांकन" से वह मूल्यांकन प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से किसी विदेशी अर्हता की अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हताओं के साथ समतुल्यता निर्धारित की जाती है।

(छ) "निर्गमन परीक्षा" से ऐसी परीक्षा अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन विहित किया जाए।

(ज) "विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता" से ऐसी विदेशी अर्हता अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 39 के अधीन मान्यता प्राप्त हो।

(झ) "विदेशी अर्हताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक" से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके पास भारत के बाहर स्थित किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई ऐसी अर्हता हो जिसे अधिनियम की धारा 39 के अधीन मान्यता प्राप्त हो, किन्तु जिसके पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त कोई मान्यता प्राप्त अर्हता न हो।

(ञ) "सदाचार प्रमाण-पत्र" से ऐसा प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, राज्य परिषद् अथवा आयोग द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के वृत्तिक आचरण का प्रमाणन करने के लिए, इन विनियमों के अधीन भारत के बाहर शिक्षा ग्रहण करने अथवा वृत्तिकव्यवसाय करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।

(ट) "अंतरिम रजिस्ट्रीकरण" से वहररजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में नामांकित व्यक्ति को मान्यता प्राप्त अर्हता की पूर्ति हेतु अपेक्षित इंटरनशिप अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण करने के लिए प्रदान किया जाता है।

(ठ) "प्राथमिक अर्हता" से वह मूल मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्रेत है जिसे किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति का व्यवसाय करने हेतु प्राप्त किया जाना आवश्यक है तथा जिसे, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर अथवा केंद्रीय रजिस्टर में प्रारंभिक मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

(ड) "अंतिम रजिस्ट्रीकरण" से ऐसा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 38 के अधीन किसी कार्यरत वृत्तिक को प्रदान किया जाता है।

(ढ) "मान्यता प्राप्त संस्था" से ऐसा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अधीन मान्यता प्रदान की गई हो।

(ण) "मान्यता प्राप्त वृत्ति" से ऐसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त हो।

(त) "मान्यता प्राप्त अर्हता" से ऐसी अर्हता अभिप्रेत है जो किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के व्यवसाय हेतु अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसमें आयोग द्वारा समय-समय पर विहित पाठ्यक्रम और अनिवार्य इंटरनशिप भी सम्मिलित हों।

(थ)"रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक"से ऐसासहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकअभिप्रेत है जिसने इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया हो।

(द)"रजिस्ट्रीकृत विदेशी अर्हताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक"से ऐसा विदेशी अर्हताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकअभिप्रेत है जिसे भारत में किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति का व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो।

(ध)"रजिस्ट्रीकरण"से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके अधीनसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों के नाम तथा विवरण, यथास्थिति, केंद्रीय रजिस्टर अथवा राज्य रजिस्टर में अभिलिखित किए जाते हैं, जिससे ऐसे वृत्तिक अधिनियम के अधीन किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति के कार्यक्षेत्रके अधीन सेवाएं प्रदान करने के पात्र हो जाते हैं।

(न)"नाम विलोपन"से किसी रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के नाम तथा विवरण को, यथास्थिति, केंद्रीय रजिस्टर अथवा राज्य रजिस्टर से हटाए जाने से है।

(प)"नवीकरण"से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने पर उसकी विधिमान्यता को आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाना अभिप्रेत है।

(फ)"पुनर्स्थापन"से किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के नाम तथा विवरण को, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर अथवा केंद्रीय रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जाना अभिप्रेत है।

(ब)"नियम"से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति आयोग नियम, 2021 अभिप्रेत है।

(भ)"अनुसूची"से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है।

(म)"प्रायोजित विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक"से ऐसा विदेशी नागरिक अभिप्रेत है जो उस देश की लागू विधि के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक अथवा समकक्ष वृत्तिक के रूप में नामांकित हो अथवा ऐसे नामांकन हेतु अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर चुका हो तथा जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भारतीय प्रायोजक द्वारा प्रायोजित किया गया हो।

(य)"अस्थायी रजिस्ट्रीकरण"से अधिनियम की धारा 39 के अधीन किसी विदेशी अर्हताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक अथवा प्रायोजित विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकको भारत में किसी विशिष्ट उद्देश्य तथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, इन विनियमों के अधीन अन्य शर्तों के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरणअभिप्रेत है।

(यक)"विशिष्ट पहचान संख्या"से इन विनियमों के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक को प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और अधिनियम के अधीन विरचित नियमों या किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम, नियम या विनियम में उनके हैं।

अध्याय 2

राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

3. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों के लिए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता.—(1)कोई व्यक्ति इन विनियमों में विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के रूप में कार्य करने का अधिकारी होगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति में कार्य करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुआ माना जाएगा, जब उसका नाम संबंधित राज्य रजिस्टर और केंद्रीय रजिस्टर में सम्मिलित कर लिया गया हो तथा उसे संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर दी गई हो।

परंतु यह कि—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है जहां राज्य परिषद् की स्थापना नहीं हुई है, वह केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण कराएगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर या उससे पूर्व सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तियों की किसी मान्यता प्राप्त श्रेणी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, किन्तु उसके पास मान्यता प्राप्त अर्हता नहीं है, उसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा; और

(ग) विदेश से अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक को विनियम 19 तथा विनियम 20 के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति में कार्य करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अनुमति होगी।

4. राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तियों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) कोई व्यक्ति राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए तभी पात्र माना जाएगा, यदि वह—

(क) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त प्राथमिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त कर चुका हो;

(ख) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्गमन परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो;

परंतु यह कि जब तक आयोग निर्गमन परीक्षाविहित नहीं करता, तब तक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता प्रदान करने के लिए आयोजित अंतिम परीक्षा को इन विनियमों के अधीन निर्गमन परीक्षा माना जाएगा; और

(ग) उस राज्य में निवास कर रहा हो जहां वह रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक पात्र सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप द-1 में आवेदन, अधिनियम की धारा 33 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क सहित, राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा। राज्य परिषद् उक्त आवेदन-पत्र और शुल्क की प्राप्ति की पावती प्रदान करेगी।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन को राज्य परिषद् इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(4) राज्य परिषद् उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन पर विचार करेगी और संलग्न सभी दस्तावेजों, मान्यता प्राप्त अर्हता तथा अन्य विवरणों का मूल अभिलेखों से सत्यापन करेगी, जिससे आवेदक की पात्रता सुनिश्चित की जा सके, और तत्पश्चात् राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर विशिष्ट पहचान संख्या सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

(5) प्रत्येक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से विशिष्ट पहचान संख्या सृजित की जाएगी, जिसमें देश कोड, राज्य का संक्षिप्त नाम, वृत्ति श्रेणी संख्या, रजिस्ट्रीकरण का वर्ष और विशिष्ट क्रमांक सम्मिलित होगा। उदाहरणार्थ: आईएनडी-जीयू-08-2025-XXXXXXXXXX, साथ में क्यूआरकोड भी होगा।

(6) कोई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक एक समय में केवल एक ही राज्य परिषद् के समक्ष रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा।

(7) कोई रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, जो उस राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में वृत्ति करना चाहता है, जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है, वह अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप द-2 में आवेदन उस राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ वह रजिस्ट्रीकृत है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर राज्य परिषद् संबंधित रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक द्वारा वृत्ति किए जाने वाले राज्यों का विवरण राज्य रजिस्टर में अद्यतन करेगी तथा उक्त विवरण अद्यतन किए जाने हेतु आयोग को सूचित करेगी।

5. राज्य परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में आयोग के समक्ष अपील.—(1) विनियम 4 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट राज्य रजिस्टर हेतु किए गए किसी भी आवेदन को राज्य परिषद् द्वारा लिखित रूप में कारणयुक्त आदेश पारित कर अस्वीकृत किया जा सकता है और उक्त आदेश की सूचना आवेदक को दी जाएगी।

(2) ऐसी अस्वीकृति से पूर्व, यदि आवेदन अथवा उसके साथ संलग्न अभिलेखों में कोई त्रुटि या कमी हो, तो आवेदक को उन्हें सुधारने का यथोचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) राज्य परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण आवेदन अस्वीकृत किए जाने पर, आवेदक उक्त अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर आयोग के समक्ष उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) उप-विनियम (3) में उल्लिखित अपील आयोग के सचिव को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्—

(क) राज्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन;

(ख) अस्वीकृति आदेश की प्रति;

(ग) अस्वीकृति के आधारों का प्रतिवाद करते हुए लिखित आवेदन; और

(घ) आयोग कोपांच हजार रुपएकी प्रोसेसिंगफीस के भुगतान का प्रमाण।

(5) आयोग, अपील का निर्णय करते समय, अपीलकर्ता की प्राथमिक शैक्षणिक अर्हता के आधार पर संबंधित वृत्तिक परिषद्से परामर्श कर सकेगा, जो अपील का परीक्षण कर अपनी टिप्पणियां आयोग को उपलब्ध कराएगी।

(6) यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है और निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है, तो आयोग राज्य परिषद् को आदेश देगा कि वह अपीलार्थी का नाम राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट करे तथा उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करे। यदि अपील अस्वीकृत कर दी जाती है अथवा उसे पर्याप्त आधारयुक्त नहीं पाया जाता है, तो आयोग ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणयुक्त आदेश जारी करेगा।

(7) अपील की समस्त कार्यवाही अपील प्राप्त होने की तिथि से नब्बे कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

(8) आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश राज्य परिषद् पर बाध्यकारी होगा तथा राज्य परिषद् ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

6. केंद्रीय रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तियों के रजिस्ट्रीकरण का अभिलेख.-(1) प्रत्येक राज्य परिषद्, राज्य रजिस्टर में किसी माह के दौरान रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तियों का विवरण प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवसको आयोग को प्रेषित करेगी।

(2) आयोग, रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तियों का विवरण प्राप्त होने पर, ऐसे वृत्तियों के नाम केंद्रीय रजिस्टर में सम्मिलित करेगा।

(3) केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण होने पर, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक को अधिनियम की धारा 15 के अधीन विहित उपबंधों के अनुसार मान्यता प्राप्त वृत्ति की संबंधित श्रेणी/श्रेणियों में किसी भी राज्य में वृत्ति करने का अधिकार होगा और वह केवल उसी राज्य तक सीमित नहीं रहेगा जिसके राज्य रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रीकरण हुआ है, किंतु ऐसे वृत्तिक ने इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सूचना संबंधी प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

7. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण.-(1) जब भी कोई रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करता है, तो वह राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति आयोग नियम, 2021 की अनुसूची में विहितप्ररूप 'घ' में आयोग को आवेदन प्रस्तुत करेगा और अपने नाम के समक्ष उक्त अतिरिक्त अर्हता को केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु आयोग को एक हजार रुपएकी प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करेगा।

(2) ऐसी अतिरिक्त अर्हता के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, संबंधित रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक की केंद्रीय रजिस्टर में प्रविष्टि को अतिरिक्त अर्हता के विवरण तथा उस अतिरिक्त अर्हता के प्रविष्ट किए जाने की तिथि सहित अद्यतन किया जाएगा, तथापि रजिस्ट्रीकरण की वैध अवधि और विशेष पहचान संख्यासंख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) केंद्रीय रजिस्टर में विवरण अद्यतन किए जाने के पश्चात्, संबंधित राज्य रजिस्टर भी बिना किसी अतिरिक्त फीस के अद्यतन किया जाएगा।

(4) केंद्रीय रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को उस विशेषज्ञता अथवा अति-विशेषज्ञता के क्षेत्र में वृत्तिकरने और अतिरिक्त अर्हता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

(5) जिस अवधि के दौरान किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण केंद्रीय रजिस्टर में 'निष्क्रिय' के रूप में अंकित हो, उस अवधि में उसकी किसी भी अतिरिक्त अर्हता का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण का उपांतरण, नवीकरण, नाम विलोपन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की डुप्लिकेट प्रति का निर्गमन

8. राज्य रजिस्टर और केंद्रीय रजिस्टर में विवरण का संशोधन.-(1) यदि राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के विवरण में किसी प्रकार का उपांतरण अपेक्षित हो, तो वह वृत्तिक अनुसूची-2 में विहित प्ररूप-द2

में संबंधित अभिलेखों सहित उपांतरित विवरण राज्य परिषद् के सचिव को प्रस्तुत करेगा और इस संबंध में राज्य परिषद् द्वारा उठाए गए प्रश्नों, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण भी देगा।

(2)राज्य परिषद्, मूल अभिलेखों का सत्यापन करने के पश्चात्, राज्य रजिस्टर में संबंधित विवरण अद्यतन करेगी।

(3)राज्य रजिस्टर में विवरण अद्यतन किए जाने के पश्चात्, राज्य परिषद् उक्त रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के संशोधित विवरण आयोग को प्रेषित करेगी, जिससे केंद्रीय रजिस्टर में भी तदनुसार अद्यतन किया जा सके।

9. राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.-(1)यथास्थिति, राज्य रजिस्टर औरकेंद्रीय रजिस्टर में किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण पांच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान कर अपना रजिस्ट्रीकरण नवीकृत कराना होगा।

(2)किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण तभी नवीकृत किया जाएगा, यदि उसने—

(क)सतत वृत्तिक विकास शिक्षाके अधीन प्रति वर्ष न्यूनतम पंद्रह घंटे और रजिस्ट्रीकरण की पांच वर्षीय विधि मान्यता अवधि के दौरान कुल पचहत्तर घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। उक्त सतत वृत्तिक विकास शिक्षा सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रमों में सहभागिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी, जिसमें ऑनलाइन माध्यम का अनुपात कुल प्रशिक्षण का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ख)नवीकरण आवेदन के साथ सतत वृत्तिक विकास शिक्षा से संबंधित उपस्थिति प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित सत्य प्रतियां प्रस्तुत की हों; और

(ग)सतत वृत्तिक विकास शिक्षा के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया हो।

(3)राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन, रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता समाप्त होने की तिथि सेछह माह पूर्वकिया जाएगा।

परंतु यह कियदि रजिस्ट्रीकरण की विधि मान्यता समाप्त होने से पूर्व नवीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक की राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि"निष्क्रिय"के रूप में प्रदर्शित की जाएगीतथा उक्त स्थिति केंद्रीय रजिस्टर में भी स्वतः अद्यतन हो जाएगी।

(4)उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट"निष्क्रिय"स्थिति की अवधि के दौरान कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति का व्यवसाय करने का अधिकारी नहीं होगा।

(5)रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन, अनुसूची-2में विनिर्दिष्टप्ररूप-द3में, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के भुगतान सहित, राज्य परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6)राज्य परिषद्, राज्य रजिस्टर में नवीकरण आवेदन और विहित शुल्क प्राप्त होने पर आवेदक को उसकी प्राप्ति की पावती जारी करेगी।

(7) राज्य परिषद्, अपेक्षित अनुपालन का सत्यापन करने के पश्चात नवीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी।

(8)नवीकरण प्रमाण-पत्र, राज्य परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के समान रूप विधान में जारी किया जाएगा और राज्य रजिस्टर में नवीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

(9)रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के पश्चात्, राज्य परिषद् राज्य रजिस्टर में आवश्यक विवरण अद्यतन करेगी और केंद्रीय रजिस्टर के अद्यतन हेतु उक्त विवरण आयोग को प्रेषित करेगीतथा आयोग द्वारा केंद्रीय रजिस्टर में तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

10. रजिस्ट्रीकरण का हटाया जाना.-(1)अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार, राज्य परिषद् किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का राज्य रजिस्टर में किया गया रजिस्ट्रीकरण दो माह से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा स्थायी रूप से हटा सकती है।

(2)जिस सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का नाम किसी राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो, उसे उस राज्य रजिस्टर अथवा किसी अन्य राज्य रजिस्टर में पुनः रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उस राज्य परिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो, जिसके रजिस्टर से उसका नाम हटाया गया था।

11. डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र का निर्गमन.—कोई रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, अधिनियम की धारा 34 में विहित डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस सहित, अनुसूची-2में विनिर्दिष्ट प्ररूप-द4में राज्य परिषद् के सचिव को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अध्याय 4

ऐसे राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण, जहां राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् कार्यशील नहीं है

12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण.—(1)जब तक किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में कार्यशील राज्य परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन, दो हजार रुपएकीरजिस्ट्रीकरणफीस सहित, आयोग को प्रस्तुत करेगा। आयोग, विनियम 4 के उप-विनियम (1) में विहित पात्रता की शर्तें पूरी होने पर, उसका नाम केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उसेकेंद्रीय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रप्रदान करेगा।

(2)राज्य परिषद् की स्थापना हो जाने पर, केंद्रीय रूप से रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिकों की प्रविष्टियां स्वतः राज्य रजिस्टर में अद्यतन हो जाएंगी।

(3)ऐसे रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक की रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि, केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की तिथि से मानी जाएगी।

(4)राज्य परिषद् की स्थापना होने पर, उसे रजिस्ट्रीकरण के हटाए जानेऔर पुनर्स्थापन से संबंधित समस्त शक्तियां तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा प्रदत्त अन्य सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

13. केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण आवेदन का अस्वीकृत किया जाना.—(1)विनियम 12 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन को आयोग द्वारा केवल लिखित और कारणयुक्त आदेश के माध्यम से ही अस्वीकार किया जाएगा तथा ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर और आवेदन या दस्तावेजों में किसी भी त्रुटि का निराकरण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अस्वीकृति आदेश की एक प्रति आवेदक को संप्रेषित की जाएगी।

(2)रजिस्ट्रीकरण आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, आवेदक आयोग द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त आदेश के विरुद्ध आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3)ऐसा पुनर्विलोकन आवेदन आयोग के सचिव को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्:—

(क)आयोग को प्रस्तुत मूल आवेदन;

(ख)अस्वीकृति आदेश की प्रति;

(ग)अस्वीकृति के आधारों का प्रतिवाद करने वाला लिखित आवेदन; और

(घ)आयोग को पांच हजार रुपये कीप्रोसेसिंग फीस के भुगतान के प्रमाण की प्रति।

(4)आयोग पुनर्विलोकन आवेदन को प्राथमिक अर्हता के आधार पर संबंधित वृत्तिक परिषद्को अग्रेषित करेगा, जो आवेदन का परीक्षण कर उसकी प्राप्ति से नब्बे दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां आयोग को उपलब्ध कराएगी।

(5)उप-विनियम (4) के अधीन वृत्तिकपरिषद् की टिप्पणियां प्राप्त होने पर आयोग उपयुक्त आदेश पारित कर पुनर्विलोकन आवेदन का निस्तारण करेगा। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

14. केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया.—(1)रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, विनियम 9 के उप-विनियम (2) में विहित मानदंडों को पूरा करने पर, अनुसूची-2में विनिर्दिष्ट प्ररूप-द3में आवेदन तथा एक हजार रुपये की प्रोसेसिंग फीस सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु सीधे आयोग को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2)आयोग, यह समाधान होने पर कि रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक ने इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, केंद्रीय नवीकरण प्रमाणपत्र उसी रूपविधान में प्रदान करेगा जिस रूपविधान में केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, और ऐसा नवीकरणरजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समान विधिक प्रभाव रखेगा।

(3) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नवीकरण हेतु आवेदन, रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता समाप्त होने से छह माह पूर्व किया जाएगा:

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता समाप्त होने से पूर्व नवीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो केंद्रीय रजिस्टर में संबंधित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक की प्रविष्टि 'निष्क्रिय' के रूप में प्रदर्शित की जाएगी।

15. आयोग द्वारा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किया जाना।—(1) रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, डुप्लीकेट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप-द4 में आवेदन, दो हजार रुपये की फीस तथा सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेगा, जिनमें यह सिद्ध करने के लिए कि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है अथवा नष्ट हो गया है, उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्मिलित होगी।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को एक पावती प्रदान की जाएगी और डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी होने तक उक्त पावती को रजिस्ट्रीकरण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, आयोग का समाधान हो जाने पर, डुप्लीकेट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को जारी किया जाएगा।

16. केंद्रीय रजिस्टर में विवरण का संशोधन।—(1) यदि केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के विवरण में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो संबंधित व्यक्ति अनुसूची-2 में विहित प्ररूप-द2 में संशोधित विवरण तथा संबंधित दस्तावेजों सहित आयोग के सचिव को प्रस्तुत करेगा और इस संबंध में आयोग द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी पत्र का स्पष्टीकरण भी देगा।

(2) आयोग, मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात्, केंद्रीय रजिस्टर में संबंधित विवरण को अद्यतन करेगा।

अध्याय 5

इंटरनशिप हेतु अंतरिम रजिस्ट्रीकरण

17. अंतरिम रजिस्ट्रीकरण।—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी मान्यता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकित है, उसे ऐसी मान्यता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता की पूर्ति के लिए अपेक्षित किसी भी इंटरनशिप, प्रशिक्षण, प्रेक्षण अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण को, निम्नलिखित रीति से अंतरिम रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना, करने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) अंतरिम रजिस्ट्रीकरण उस राज्य की राज्य परिषद् से प्राप्त किया जाएगा, जहां वह मान्यता प्राप्त संस्था स्थित है जिसमें आवेदक नामांकित है;

(ख) ऐसी मान्यता प्राप्त अर्हता की पूर्ति हेतु अपेक्षित कोई भी इंटरनशिप, प्रशिक्षण, प्रेक्षण अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण केवल उसी व्यवसाय सुविधा में किया जाएगा, जिससे वह मान्यता प्राप्त संस्थान संबद्ध है जिसमें आवेदक नामांकित है;

(ग) अंतरिम रजिस्ट्रीकरण हेतु संबंधित राज्य परिषद् के समक्ष इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर अंतरिम रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा:

परंतु अंतरिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर कोई फीस देय नहीं होगी।

(2) अंतरिम रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा राज्य परिषद् के समक्ष प्रारंभ की जाएगी।

(3) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, जिसने भारत में किसी नैदानिक प्रशिक्षण के उद्देश्य से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, उसे इन विनियमों के अधीन पृथक् रूप से अंतरिम रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय 6

विदेशी अर्हता प्राप्त और प्रायोजित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक

18. विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण।—(1) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, अधिनियम के अधीन किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति का व्यवसाय तभी कर सकेगा, जब उसने इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिया हो और इस अध्याय में विहित अन्य शर्तों का पालन करता हो।

(2) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक भारत में किसी मान्यता प्राप्त वृत्ति का व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र तभी होगा, यदि उसने—

(क) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता प्राप्त की हो; या

(ख) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित समतुल्यता प्रत्यय मूल्यांकनपूरा किया हो; और

(ग) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधित निर्गमन परीक्षाउत्तीर्ण की हो।

(3) केंद्रीय रजिस्टरमें रजिस्ट्रीकरण होने पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, एक रजिस्ट्रीकृतसहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक माना जाएगा।

19. विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया.—(1) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह संबंधित मान्यता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्ति की श्रेणी के लिए अनुसूची-2में निर्दिष्ट प्ररूप-द5कमें केंद्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परंतु ऐसा विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक उक्त आवेदन प्रपत्र में भारत में अपने निवास के लिए चयनित राज्य का उल्लेख करेगा।

(2) आवेदन के साथ आयोग को ग्यारह हजार रुपये का आवेदन फीस का भुगतान किया जाएगा।

(3) आयोग, आवेदन पर विचार करने और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक, विनियम 18 के उप-विनियम (2) के मानदंडों के अनुसार विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है, आवेदक को एकविशिष्ट पहचान संख्याजारी करेगा।

(4) विशिष्ट पहचान संख्याप्रत्येक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के लिए विशिष्ट होगी तथा उसमें देश कोड (विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक के निवास देश का कोड), वृत्तिक श्रेणी संख्या, रजिस्ट्रीकरण का वर्ष तथा एक विशिष्ट क्रमांक सम्मिलित होगा। उदाहरणार्थ: एनजेड-08-2025-XXXXXXXXXX, जिसके साथ एकक्यूआरकोडभी होगा।

(5) विशिष्ट पहचानसंख्या जारी किए जाने पर आयोग विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। तत्पश्चात् ऐसे विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का विवरणकेंद्रीय रजिस्टरमें अपलोड किया जाएगा।

(6) केंद्रीय रजिस्टर में विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण तथा उसके प्रासंगिक विवरण दर्ज किए जाने पर, जिस राज्य को ऐसे वृत्तिक ने अपने आवेदन-पत्र में अपने निवास राज्य के रूप में दर्शाया है, उस संबंधित राज्य केराज्य रजिस्टरको भी बिना किसी अतिरिक्त फीस के स्वतः अद्यतन किया जाएगा। जहां किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में राज्य परिषद् का गठन नहीं हुआ है, वहां संबंधित राज्य रजिस्टर उसके गठन के पश्चात् अद्यतन किया जाएगा और विनियम 12 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

20. विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.—(1) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने का पात्र तभी होगा, जब उसने विनियम 18 के उप-विनियम (2) में विहित मानदंडों को पूरा कर लिया हो और प्रचलित विधियों के अधीन लागू सभी अन्य आप्रवासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो।

(2) पात्र विदेशी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेखवृत्तिक को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर स्तर अथवा विशेषज्ञता स्तर की किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा का अनुसरण करने के लिए;

(ख) भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित कौशल और दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से फेलोशिप अथवा प्रमाणपत्र कार्यक्रम, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षणअथवा प्रेक्षण प्रशिक्षणअथवा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए;

(ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकों, प्रक्रियाओं अथवा कार्यशालाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ निरीक्षण के लिए; और

(घ) सामुदायिक सेवा के निर्वहन हेतु सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने के लिए।

(3) किसी विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को प्रदान किया गया कोई भी अस्थायी रजिस्ट्रीकरण, उप-विनियम (1) में विहित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अथवा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के ऐसे अन्य लागू मानकों या आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए, रद्द कर दिया जाएगा।

(4) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित समाप्ति की तारीख को या भारत के लागू आप्रवासन संबंधी विधियों के अधीन विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा प्राप्त ऐसे परमिट की समाप्ति की तारीख को, इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।

(5) कोई विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को पांच हजार रुपये की आवेदन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा, और आयोग का समाधान हो जाने पर अनुसूची-2 में निर्धारित रूपविधान-क के अनुसार, विशिष्ट पहचान संख्या सहित अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

21. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया.—(1) स्नातकोत्तर या विशेषज्ञता कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए—

(क) किसी विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को किसी भी स्नातकोत्तर या विशेषज्ञता कार्यक्रम में प्रवेश केवल ऐसे समतुल्यता प्रमाण-पत्र मूल्यांकन तथा निर्गमन परीक्षा को पूर्ण करने के पश्चात् ही प्रदान किया जा सकेगा।

(ख) ऐसा विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक, जो खंड (क) के उपबंधों के अनुसार पात्र है, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसूची-2 में निर्धारित प्ररूप-5ख में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदन के साथ आयोग को पांच हजार रुपये की आवेदन फीस जमा की जाएगी।

(घ) आयोग ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि आवेदक विनियम 20 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त है, और तत्पश्चात् उस विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को संबंधित स्नातकोत्तर या विशेषज्ञता कार्यक्रम की अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा, जिसकी अवधि उस मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसमें वह प्रवेश प्राप्त करने जा रहा है।

(ङ) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को किसी स्नातकोत्तर या विशेषज्ञता कार्यक्रम में प्रवेश, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) फेलोशिप या नैदानिक अनुसंधान या नैदानिक प्रशिक्षण या पर्यवेक्षणात्मक प्रशिक्षण या व्यावहारिक कार्यशाला या स्वैच्छिक सेवा—

(क) किसी विदेशी अर्हता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को कौशल तथा दक्षता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण या शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के अधीन फेलोशिप या प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों या नैदानिक अनुसंधान या नैदानिक प्रशिक्षण या पर्यवेक्षणात्मक प्रशिक्षण या व्यावहारिक कार्यशाला या स्वैच्छिक सेवा करने की अनुमति केवल ऐसे समतुल्यता प्रमाण-पत्र मूल्यांकन को पूरा करने के पश्चात् ही प्रदान की जा सकेगी।

(ख) विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हित वृत्तिक जो खंड (क) के उपबंधों के अधीन पात्र है, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुसूची-2 में यथानिर्धारित प्ररूप-5ख में आवेदन करेगा।

(ग) आवेदन के साथ पाँच हजार रुपये का आवेदन शुल्क आयोग को संदेय होगा।

(घ) आयोग आवेदन पर विचार करेगा और आवेदन कि विषय-वस्तु से संतुष्ट होगा, तथा तत्पश्चात् विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हित वृत्तिक को अधिकतम बारह मास की अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा और जो कि विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्था के विशिष्ट कार्यक्रम में भागीदारी तक सीमित होगा।

22. प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना।—(1) कोई विदेशी नागरिक, जो अपने देश में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक या ऐसे समरूपवृत्तिक के रूप में, उस देश में प्रवृत्त विधियों के अनुसार नामांकित हो और जिसका भारत में कोई प्रायोजक हो, वह विनियम 20 और 21 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुसूची-2 में यथानिर्धारित प्ररूप द-5 ग में आवेदन करेगा।

(2) विनियम 21 के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी:

परंतु यह कि—

(क) भारत में, प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के अधिकार, देश की विधि के उपबंधों के अधीन होंगे;

(ख) भारत में किसी प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को आमंत्रित करने वाले या उसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले या उसे किसी अध्येतावृत्ति या प्रमाणपत्र कार्यक्रम या नैदानिक अनुसंधान या नैदानिक प्रशिक्षण या पर्यवेक्षणात्मक प्रशिक्षण या व्यावहारिक कार्यशाला या स्वैच्छिक सेवा हेतु, विनियम 21 के अधीन प्रस्थापित करने वाले संस्था या निकाय, ऐसे प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के आचरण के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) प्रायोजित विदेश से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक को अनुदत्त अस्थायी रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा, यदि वह अधिनियम, नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक की मान्य श्रेणियों के बाहर की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है;

(घ) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का रजिस्टर विदेशी राष्ट्रिक, भारत में प्रवृत्त विधियों के अनुसार विधिमानी वीजा धारित करेगा; और

(ङ) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण, विदेशी राष्ट्रिक द्वारा धृत भारतीय वीजा के साथ सहविस्तारी होगा, उनमें से जो भी पहले अवसारित हो जाए।

23. सदाचरण प्रमाणपत्र जारी किया जाना।—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक, जिसे कोई विदेशी शिक्षा ग्रहण करने या कोई वृत्ति करने या भारत के बाहर छात्र विनियम कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सदाचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित हो, वह एक हजार रुपये के प्रसंस्करण शुल्क सहित सुसंगत राज्य परिषद् को आवेदन करेगा, जिसके साथ वहरजिस्ट्रीकृत है:

परंतु यह कि, किसी संघ राज्यक्षेत्र या राज्य में, जहाँ राज्य परिषद् स्थापित नहीं है, सदाचरण प्रमाणपत्र हेतु उपर्युक्त आवेदन उक्त प्रसंस्करण शुल्क सहित आयोग के सचिव को किया जाएगा।

(2) राज्य परिषद् आवधिक रूप से ऐसे सभी सदाचरण प्रमाण-पत्रों की सूची, जो उसके द्वारा जारी किए गए हैं, आयोग को प्रज्ञापित करेगी।

अध्याय-7

केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण

24. केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण।—केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर को, यथास्थिति, आयोग और संबंधित राज्य परिषदों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराकर जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया जाएगा तथा उनमें अनुसूची-3 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों से संबंधित सूचना प्रदर्शित होगी।

25. आवेदन तथा भुगतान की रीति।—(1) आयोग और राज्य परिषदें, रजिस्ट्रीकरण, जिसमें अस्थायी रजिस्ट्रीकरण भी है, के लिए पात्र व्यक्ति से आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करेंगी, जो कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(2) इन विनियमों के अधीन किए जाने वाले सभी संदाय उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जायेंगे।

26. प्रकीर्ण।—कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रारम्भ से या उससे पूर्व मान्यता-प्राप्त प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में सेवाएं दे रहा है और जो नियमित रजिस्ट्रीकरण के मानदंड पूरा नहीं कर रहा है, अधिनियम की धारा 38 के अधीन जारी किए गए सुसंगत विनियमों के अनुसार अपेक्षित अनुपालन पूरा करने पर, अनंतिमरजिस्ट्रीकरण विनियमों के अधीन रजिस्टरहेतु अनुज्ञात होगा।

अनुसूची - 1

[विनियम 4(1)(क) देखें]

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपाधि का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 1

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग का नाम: चिकित्सा प्रयोगशाला और जीव विज्ञान

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड-3212)	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान स्नातक (बी.एमएलएस)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी स्नातक	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान/प्रौद्योगिकी स्नातक	तीन वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान/प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	तीन वर्ष	नियमित	-
	विज्ञान स्नातक चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान/प्रौद्योगिकी	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान/प्रौद्योगिकी स्नातक	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष और 2000 घंटे से अन्यून	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
जैव प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड-2131)	एम.एससी (जैव प्रौद्योगिकी) (स्वास्थ्य देख-रेख में कम से कम एक वर्ष के अनुभव के साथ)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी जैव प्रौद्योगिकी (चिकित्सा जैव रसायन/चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान / जैव चिकित्सा विज्ञान/रोग विज्ञान/कर्क रोग अनुवांशिकी /चिकित्सा अनुवांशिकी से संबंधित)	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
जैव रसायनज्ञ (गैर-	एम.एससी. (जैव रसायन)	दो वर्ष	नियमित	-

नैदानिक) (आईएससीओ कोड- 2131)	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एमएलएस) (चिकित्सा जैव रसायन)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी जैव रसायन/ जैव चिकित्सा विज्ञान/कर्क रोग अनुवांशिकी/ चिकित्सा अनुवांशिकी	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
कोशिका आनुवंशिकीविद् (आईएससीओ कोड- 2131)	एम.एससी (अनुवांशिकी/जीव विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान/प्राणीशास्त्र)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी कोशिकीय आनुवंशिकी	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
	पीएच.डी जैव चिकित्सा विज्ञान (चिकित्सा अनुवांशिकी/मानव अनुवांशिकी/कर्क रोग अनुवांशिकी से संबंधित)	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
सूक्ष्मजीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (आईएससीओ कोड- 2131)	एम.एस.सी (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एमएलएस) (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी सूक्ष्म जीवविज्ञान (चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान से संबंधित)	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
आणविक जीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (आईएससीओ कोड- 2131)	एम.एससी (अनुवांशिकी/जीव विज्ञान/जैवचिकित्सा विज्ञान/प्राणीशास्त्र)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी आणविक जीवविज्ञान (चिकित्सा जैव रसायन/चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान/ रोग विज्ञान/ कर्क रोग अनुवांशिकी/ चिकित्सा अनुवांशिकी से संबंधित)	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-
आणविक आनुवंशिकी (आईएससीओ कोड- 2131)	एम.एससी (अनुवांशिकी/जीव विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान/प्राणीशास्त्र)	दो वर्ष	नियमित	-
	पीएच.डी आणविक अनुवांशिकी (चिकित्सा जैव रसायन/चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान/रोग विज्ञान/कर्क रोग अनुवांशिकी/चिकित्सा अनुवांशिकी से	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	यूजीसी मानदंडों के अनुसार	-

	संबंधित)			
कोशिकाविज्ञान प्रौद्योगिकी	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान स्नातक (बी.एमएलएस)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एमएलएस) (ऊतक विज्ञान और कोशिका रोग विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	-
न्यायालयिय विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्	एम.एससी. (न्यायालयिय विज्ञान प्रौद्योगिकी)	दो वर्ष	नियमित	-
ऊतक प्रौद्योगिकीविद्	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान स्नातक (बी.एमएलएस)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एमएलएस) (ऊतक विज्ञान और कोशिका रोग विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	-
रुधीर प्रौद्योगिकीविद्	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान स्नातक (बी.एमएलएस)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एमएलएस) (रुधीर विज्ञान और परिसंचरण चिकित्सा)	दो वर्ष	नियमित	-

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपाधि का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 2

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग का नाम: मानसिक आघात, बर्न देख-रेख और शल्य/असंवेदनता से संबंधित प्रौद्योगिकी

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
प्रगत देख-रेख पराचिकित्सकीय (आईएससीओ कोड - 2240)	आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.ईएमटी) (पराचिकित्सकीय)	चार वर्ष	नियमित	-
	मानसिक आघात देख-रेख में उपाधि	तीन वर्ष	नियमित	-
बर्न देख-रेख प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड - 2240)	आपातकालीन देख-रेख में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीईसी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	-
आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (पराचिकित्सकीय)	आपातकालीन देख-रेख में उन्नत स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एपीजीडीईसी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
(आईएससीओ कोड - 3258)	आपातकालीन देख-रेख/आपातकालीन चिकित्सा देख-रेख में उन्नत स्नातकोत्तर डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	मानसिक आघात देख-रेख प्रबंधन में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	आपातकालीन देख-रेख प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	आपातकालीन और मानसिक आघात देख-रेख प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	दुर्घटना और आपातकालीन देख-रेख प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	आपातकालीन चिकित्सा और गंभीर देख-रेख प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	आपातकालीन और गंभीर देख-रेख में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
असंवेदनता सहायक और प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड - 3259)	असंवेदनता और शल्य क्रिया कक्ष प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डी. एओटीटी)	दो वर्ष और छह मास (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
शल्य क्रिया कक्ष (ओटी) प्रौद्योगिकीविदों (आईएससीओ कोड - 3259)	असंवेदनता और शल्य क्रिया कक्ष प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी. एओटीटी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (असंवेदनता प्रौद्योगिकी) / बी.एससी. एएचएस (एटी)	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	बी.एससी. (शल्य क्रिया कक्ष और असंवेदनता प्रौद्योगिकी)/बी.एससी. (एएचएस) (ओटीएटी)	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	बी.एससी. (चिकित्सा	तीन वर्ष	नियमित	-

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
	प्रौद्योगिकी) (ओटी और असंवेदनता)	और छह मास		
	बी.एससी. (शल्य क्रिया कक्ष प्रौद्योगिकी)/बी.एससी. एएचएस (ओटीटी)	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
अंतःदर्शन और लैप्रोस्कोपी प्रौद्योगिकीविदों (आईएससीओ कोड - 3259)	शल्य क्रिया कक्ष प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	तीन वर्ष	नियमित	-
	अंतःदर्शन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	अंतःदर्शन प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	तीन वर्ष	नियमित	-
	अंतःदर्शन प्रौद्योगिकी और लैप्रोस्कोपिक प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	तीन वर्ष	नियमित	-

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रजिस्ट्रेशन के लिए उपाधि का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 3

मान्यता प्राप्त कैटेगरी का नाम: भौतिक चिकित्सा प्रोफेशनल

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
भौतिक चिकित्सा (आईएससीओ कोड -2264)	भौतिक चिकित्सा में स्नातक (बी.पीटी)	पांच वर्ष	नियमित	-
	भौतिक चिकित्सा में डिप्लोमा (डीपीटी प्रवेश वर्ष 1994 तक)	दो वर्ष और छह मास (दो वर्ष + छह मास शिक्षुता) और 2000 घंटे से अन्यून	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	भौतिक चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स) (पीटी)	तीन वर्ष	नियमित	यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

	(प्रवेश वर्ष 1995 तक)			
	विज्ञान स्नातक (भौतिक चिकित्सा)	तीन वर्ष और छह मास (तीन वर्ष + छह मास शिक्षता)	नियमित	यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
	भौतिक चिकित्सा में स्नातक (बी.पीटी)	तीन वर्ष और छह मास (तीन वर्ष + छह मास की शिक्षता)	नियमित	यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
	भौतिक चिकित्सा में स्नातक (बीपीटी)	चार वर्ष और छह मास (चार वर्ष + छह मास शिक्षता)	नियमित	यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपाधि का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 4

मान्यता प्राप्त कैटेगरी का नाम: पोषण विज्ञान वृत्तिक

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
पोषण आहार विज्ञानी (जिसमें नैदानिक पोषणविद्, आहार सेवा पोषणविद् भी हैं) (आईएससीओ कोड -2265) पोषणविद् (जिसमें लोक स्वास्थ्य पोषणविद्, खेल पोषणविद् भी हैं) (आईएससीओ कोड -2265)	पोषण और आहार विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स)	चार वर्ष (जिसमें छह मास की अंतः शिक्षता/ नैदानिक प्रशिक्षण भी है)	नियमित	-
	बी.एससी. (ऑनर्स) (खाद्य पोषण और आहार विज्ञान)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. और एम.एससी (एनईपी खाद्य पोषण और आहार विज्ञान के अंतर्गत एकीकृत पाठ्यक्रम)	पांच वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (गृह विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	रजिस्ट्रीकरण के लिए, जैसा कि सुचिबद्ध है, स्नातक उपाधि के साथ स्नातकोत्तर उपाधि भी अपेक्षित है।
	*बी.एससी. (गृह अर्थशास्त्र)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (गृह अर्थशास्त्र, आहार और पोषण विशिष्टता के साथ)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण, आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (नैदानिक पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
	बी.एससी. (खेल, फिटनेस और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (व्यायाम शरीर-क्रिया-विज्ञान और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (गृह विज्ञान- पोषण, खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (खाद्य विज्ञान पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण विज्ञान और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण, खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (नैदानिक पोषण, आहार विज्ञान और खाद्य विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (ऑनर्स) (पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (ऑनर्स) (खाद्य और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	एम.एससी (खाद्य और पोषण)/ एम.एससी (विशिष्ट आहार विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (व्यायाम विज्ञान और खेल पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (सहबद्ध पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (नैदानिक पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (पोषण और आहार विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (खेल पोषण और व्यायाम शरीर-क्रिया-विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (अनुप्रयुक्त खेल पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (खाद्य विज्ञान और पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (आहार विज्ञान और	दो वर्ष	नियमित	

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणियाँ
	अनुप्रयुक्त पोषण)			
	एम.एससी. (खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (खेल पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (गृह विज्ञान (खाद्य और पोषण))	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (गृह विज्ञान (खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान))	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (खाद्य पोषण और आहार विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (खाद्य और पोषण विज्ञान)	दो वर्ष	नियमित	
	एम.एससी. (पोषण)	दो वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (खाद्य पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिये। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा। विचार नहीं किया जाएगा।
	बी.एससी. (गृह विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	*बी.एससी. (गृह अर्थशास्त्र)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (गृह विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (गृह अर्थशास्त्र, खाद्य और पोषण विशिष्टता के साथ)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण, आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (नैदानिक पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (खेल, फिटनेस और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (व्यायाम शरीर-क्रिया-विज्ञान और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (गृह विज्ञान- पोषण, खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (खाद्य विज्ञान पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बी.एससी. (पोषण और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यताप्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	बीएससी (पोषण विज्ञान और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बीएससी (पोषण, खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बीएससी (नैदानिक पोषण, आहार विज्ञान और खाद्य विज्ञान)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बीएससी (ऑनर्स) (पोषण और आहार)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	बीएससी (ऑनर्स) (खाद्य और पोषण)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	नैदानिक पोषण विज्ञान और आहार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	खेल पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	पोषण और आहार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	आहार विज्ञान एवं खाद्य सेवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	लोक स्वास्थ्य पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	व्यायाम विज्ञान और खेल पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	फिटनेस, स्वास्थ्य एवं पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	आहार विज्ञान एवं जनस्वास्थ्य पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	
	आहार विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	नियमित	

1. *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), डीओ पत्र संख्या 1-151/2015 (सीपीपी-) तारीख 17 अगस्त 2015, यह स्पष्ट करते हुए कि 6 जून 1986 से पहले पूरी की गई दो वर्ष की स्नातक डिग्री को तीन वर्ष के डिग्री कार्यक्रम के बराबर माना जाएगा और इसके लिए किसी सेतु पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है।

संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के पंजीकरण के लिए डिग्री नामकरण

मान्यता प्राप्त श्रेणी संख्या: 5

मान्यता प्राप्त श्रेणी का नाम: नेत्र विज्ञान वृत्तिक

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
ऑप्टोमेट्रिस्ट (आईएससीओ कोड -2267)	बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री (बी.ऑप्टोम.)	पांच वर्ष (चार वर्ष + एक वर्ष की प्रशिक्षुता)	नियमित	-
	ऑप्टोमेट्री में स्नातक (बी.ऑप्टोम.)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	ऑप्टोमेट्री में बीएस, बीएस ऑप्टोमेट्री	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	ऑप्टोमेट्री में बीएससी, बीएससी (ऑप्टोमेट्री)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी (बीएससी.ओटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री (बी.ऑप्टोम)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (ऑप्टोमेट्री)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	नैदानिक ऑप्टोमेट्री में स्नातक	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (नेत्र तकनीक)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (ऑनर्स) (नेत्र तकनीक)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (नेत्र औषधीय और दृष्टि विज्ञान) बी.एससी. (ओडीवीएस)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	ऑप्टोमेट्री और नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी (बीओओटी) में बीएससी	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
	पीएमटी (ऑप्टोमेट्री टेक), बीपीएमटी (ऑप्टोमेट्री) में बीएससी	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (नेत्र औषधीय)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	ऑप्टोमेट्री और नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्नातक	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	बीएससी (नेत्र सहायक)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक (आनर्स) (बीएससीएचओटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बीएससी (नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री (एम. ऑप्टोम) (एकीकृत कार्यक्रम)	पाँच वर्ष	नियमित	-
नेत्र सहायक (आईएससीओ कोड -3256)	ऑप्टैल्मिक तकनीक में डिप्लोमा (डीओटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्डों/निकायों द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा (डी.ओपीटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	रिफ्रैक्शन और ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा (डी.आर.ओपीटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	ऑर्थोप्टिक्स में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	ऑप्टैल्मिक असिस्टेंट में डिप्लोमा (डीओए)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	ऑप्टैल्मिक तकनीशियन में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	प्रकाश विज्ञान और अपवर्तन में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	अप्टोमेट्री तकनीक में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	मध्य-स्तरीय नेत्र संबंधी कर्मी, (एमएलओपी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	ऑप्टोमेट्री और नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीओओटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	ऑप्टोमेट्री और अपवर्तन में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा (1981-2007)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	अपवर्तन और ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	पैरा मेडिकल नेत्र सहायक में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
दृष्टि तकनीशियन (आईएससीओ कोड-3256)	दृष्टि टेक्नीशियन में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड या संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक प्रोफेशनल्स के पंजीकरण के लिए डिग्री का नामकरण

मान्यता प्राप्त श्रेणी संख्या: 6

मान्यता प्राप्त श्रेणी का नाम: ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (आईएससीओ कोड-2269)	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (बी.ओटी)	पांच वर्ष (चार वर्ष + एक वर्ष की प्रशिक्षुता)	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (बी.ओटी)	चार वर्ष और छह मास	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (बी.ओटी)	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा में बी.एससी.	तीन वर्ष और छह मास	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा में बी.एससी	दो वर्ष और छह मास	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा में बी.एससी. (ऑनर्स)	चार वर्ष और छह मास	नियमित	-
	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (बीओटीएच)	चार वर्ष और छह मास	नियमित	-

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	व्यावसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारद्वारामान्यता प्राप्त कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्डों/निकायों द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	व्यावसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा	तीन वर्ष और छह मास (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	

संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के पंजीकरण के लिए डिग्री नामकरण

मान्यता प्राप्त श्रेणी संख्या: 7

मान्यता प्राप्त श्रेणी का नाम: सामुदायिक देखभाल, व्यवहारिक स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य वृत्तिक

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
पर्यावरण संरक्षण अधिकारी (आईएससीओ कोड-2133)					अद्यतन किया जाना है
पारिस्थितिकीविद् (आईएससीओ कोड-2133)					अद्यतन किया जाना है
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रोत्साहक (आईएससीओ कोड-3253)					अद्यतन किया जाना है
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी (निरीक्षक) (आईएससीओ कोड-3257)					अद्यतन किया जाना है
सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता, मनश्चिकित्सीयसामाजिक	चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में स्नातक (बी. एमपीएसडब्ल्यू)	—	चार वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
कार्यकर्ता, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं (आईएससीओ कोड-2635)	सामाजिक कार्य में स्नातक (बीएसडब्ल्यू)	दो वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 तक की पात्रता मानदंड (i) जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक सामाजिक कार्य में तीन से चार वर्ष की न्यूनतम अवधि के स्नातकपूर्व के कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेटिंग में परिभाषित के रूप में अनुभव पूरा कर चुके हैं, वे मेडिकल सामाजिक कार्य डोमेन के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। या (ii) जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक सामाजिक कार्य में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, जिनके पास निर्दिष्ट योग्यता शीर्षक हैं और स्वास्थ्य सेटिंग में अनुभव है जैसा कि परिभाषित किया गया है, वे मेडिकल सामाजिक कार्य डोमेन के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
	सामाजिक कार्य में कला स्नातक (बी.ए. सामाजिक कार्य)	दो वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्ल्यू)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में कला स्नातकोत्तर (एमए. सामाजिक कार्य)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम एसडब्ल्यू) (चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमए सामाजिक कार्य (परामर्श)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमए सामाजिक कार्य (मानसिक स्वास्थ्य)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमए सामाजिक कार्य (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्ल्यू) (नैदानिक और सामुदायिक व्यवसाय)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्ल्यू) (नैदानिक सामाजिक कार्य)	एक वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	एमफिल- एक वर्ष				
	नैदानिकसामाजिक कार्य में एमफिल (2-वर्षीय अस्पताल आधारित)	कोई नहीं	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक कार्य में पीएचडी	एक वर्ष	तीन से पांच वर्ष चार से छह वर्ष	नियमित (पूर्णकालिक) अंशकालिक	
	नैदानिक सामाजिक कार्य में एमफिल	-	दो वर्ष A.1	नियमित	जो अभ्यर्थी नैदानिकसामाजिक कार्य में मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल) के न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, जिनके पास विनिर्दिष्ट योग्यता उपाधि हैं, वे नैदानिकसामाजिक कार्य के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
	मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में एमफिल	-	दो वर्ष	नियमित	जो अभ्यर्थी मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल) के न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं (मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार), विनिर्दिष्ट योग्यता उपाधि धारण करते हैं, वे मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	मनश्चिकित्सीय स्नातक (बी.पीएसवाई)	-	चार वर्ष	नियमित	
	स्नातक पूर्व की डिग्री (मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्र/निजी विश्वविद्यालयों से) कला स्नातक (बीए) /विज्ञान स्नातक (बीएससी) में:				जो अभ्यर्थी मनोविज्ञान/ अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में न्यूनतम तीन से चार वर्ष की स्नातकपूर्व (यूजी) और मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में दो वर्ष की स्नातकोत्तर (पीजी) के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, जिनके पास विनिर्दिष्ट योग्यता उपाधि हैं और स्वास्थ्य सेटिंग्स में अनुभव है, वे मनोविज्ञान वृत्तिक डोमेन के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
	मनोविज्ञान (ऑनर्स/शोध के साथ ऑनर्स)	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (ऑनर्स/शोध के साथ ऑनर्स)	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और व्यवहारिक स्वास्थ्य में स्नातक (बी.पीएसवाई)	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	बी.ए. ट्रिपल मेजर मनोविज्ञान के साथ	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	बीए डबल मेजर मनोविज्ञान के साथ	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	बीएससी (व्यवहार स्वास्थ्य विज्ञान) (ऑनर्स)	तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	नियमित	
	स्नातकोत्तर डिग्री (मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्र/निजी विश्वविद्यालयों से):				
	मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	नैदानिक मनोविज्ञान (आरसीआई के साथ पंजीकृत नहीं)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	परामर्श मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	मनोवैज्ञानिक परामर्श	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	फोरेंसिक	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	मनोविज्ञान				
	औद्योगिक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	संगठनात्मक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमए मनोविज्ञान (मनोसामाजिक नैदानिक अध्ययन)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	तंत्रिका विज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	तंत्रिका विज्ञानमें विज्ञान से एमएससी	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	खेल मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	स्वास्थ्य मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमए मनोविज्ञान (जीवनकाल परामर्श)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	स्कूल मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	संज्ञानात्मक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	व्यवहार विज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामाजिक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	विकासात्मक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	बाल मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सामुदायिक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	फॉरेंसिक्स और अन्वेषी मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	सांस्कृतिक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (नैदानिक और परामर्श व्यवसाय)	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	मनोवैज्ञानिक अनुसंधान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	नैदानिक मनो-ऑन्कोलॉजी	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	मनोविज्ञान में लिबरल स्टडीज (एमएलएस) में मास्टर	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	एमएससी (मनोविज्ञान (स्वास्थ्य और कल्याण))	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	कैरियर परामर्श	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	कैरियर और विकासात्मक परामर्श	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	कारबार और संगठनात्मक मनोविज्ञान के साथ एचआरडीएम;	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	शैक्षिक मनोविज्ञान	दो वर्ष	दो वर्ष	नियमित	
	मनोविज्ञान स्नातक (बी.साइकोलॉजी)		चार वर्ष	नियमित	
	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.साइकोलॉजी)		दो वर्ष	नियमित	
	मनोविज्ञान के डॉक्टर/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में पीएच.डी. अर्थात् डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी			नियमित	
	मनोविज्ञान में नियमित पंजीकरण के लिए विचार करने के लिए मनोविज्ञान में उन्नत डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ-साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर को मंजूरी दी गई है				जो उम्मीदवार अभ्यर्थी स्वास्थ्य सेटिंग्स में परिभाषित अनुभव के साथ मनोविज्ञान में न्यूनतम एक से दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम
	मनोविज्ञान में उन्नत डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	एक से दो वर्ष	नियमित	

वृत्तिक	मान्यता प्राप्त अर्हता	स्वास्थ्य सेटिंग्स में न्यूनतम अनुभव	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने की रीति	टिप्पणी
	बच्चों और किशोरों के साथ मनोचिकित्सा और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक वर्ष	एक से दो वर्ष	नियमित	सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, वे मनोविज्ञान वृत्तिक डोमेन के अधीन नियमित पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा में परामर्श मनोविज्ञान	एक वर्ष	एक से दो वर्ष	नियमित	
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा/परामर्श मनोविज्ञान में कार्यकारी डिप्लोमा	एक वर्ष	एक से दो वर्ष	नियमित	

एमएससी.(रेडियोलॉजी इमेजिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी) (एकीकृत)	पांच वर्ष	नियमित	-
रेडियोग्राफी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकायों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
एक्स-रे प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
इमेजिंग प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक	तीन वर्ष	नियमित	ऊपर बताए गए के अतिरिक्त, रेगुलर रजिस्ट्रीकरण के लिए चिकित्सा रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी से जुड़े कम से कम तीन वर्ष के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की सलाह दी जाती है।
चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में बी.एससी.	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
पैराचिकित्सा प्रौद्योगिकी में बी.एससी. (बीपीएमटी) (रेडियोग्राफी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
बी.एस.सी. (चिकित्सा रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी)(बीएमआरटी) (निदान और चिकित्सा दोनों)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
बी.एस.सी. (रेडियो इमेजिंग प्रौद्योगिकी)(ब्रिट)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
रेडियो इमेजिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक (ब्रिट)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
रेडियोलॉजिकल इमेजिंग तकनीक में बी.एससी. (ब्रिट)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
बीएससी. (रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी) (ब्रिट)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	

पैराचिकित्सा प्रौद्योगिकी में स्नातक (बीपीएमटी)(रेडियोलॉजी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
विकिरण प्रौद्योगिकी स्नातक(बीआरटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
उन्नत इमेजिंग प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक(बीएसएआईटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक (बीएससी एमआईटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
रेडियोलॉजी में विज्ञान स्नातक(बीएसआर)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
रेडियोलॉजी और चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.एससी. आरएमआईटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	
चिकित्सा रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक (बीएमआरआईटी)	एक वर्ष की इंटरशिप सहित तीन वर्ष और छह मास	नियमित	
रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरडीटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरटीटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
प्रमाणित रेडियोलॉजिकल सहायक (डीसीआरए) में डिप्लोमा (रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी दोनों के लिए)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा(डीएमआईटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा (डीआरआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा(एडीएमआईटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
एक्स-रे रेडियोग्राफी (एडीएक्सआर) में उन्नत डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
चिकित्सा इमेजिंग तकनीशियन में डिप्लोमा (डीएमआईटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
एक्स-रे रेडियोग्राफी और	दो वर्ष (न्यूनतम	नियमित	

	अल्ट्रासोनोग्राफी में उच्च डिप्लोमा (एडीएक्सआरयू)	2000 घंटे)		
	चिकित्सा इमेजिंग तकनीशियन में डिप्लोमा (डीएमआईटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएमआईटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएमएलटी)(रेडियोलॉजी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा रेडिएशन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएमआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	एमआरआई तकनीशियन (डीएमटी) में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा रेडिएशन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएमआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	विकिरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरटी)	दो/दो वर्ष और छह मास (कम से कम 2000घंटे)	नियमित	
	रेडियोडायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी तकनीकों में डिप्लोमा(डीआरआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	रेडियोडायग्नोसिस प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरडीटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	रेडियोग्राफिक सहायक (डीआरटी) में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (डीआर)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (रेडियोग्राफी)(डीटीआर)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा रेडियोलॉजिकल विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमआरएस)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	एक्स-रे, रेडियोग्राफी और अल्ट्रा-सोनोग्राफी में उच्च डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड-3211)	विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.आरटीटी)	चार वर्ष	नियमित	-
	रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डी. आर.टी.)	दो वर्ष और छह मास (कम से कम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया
	रेडियोडायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	

				जाएगा।
	विकिरण प्रौद्योगिकी स्नातक(बीआरटी)	तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एस.सी (विकिरण विज्ञान)बी.एससी. (आरएस)	तीन वर्ष	नियमित	-
	विकिरण प्रौद्योगिकी में स्नातक(बीआरटी)	तीन वर्ष	नियमित	-
	रेडियोडायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी तकनीकों में डिप्लोमा(डीआरआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा(एडीआरटी)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरटीटी)	दो वर्ष और छह मास (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	विकिरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआरटी)	दो वर्ष और छह मास(न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एमआरटीटी)	पांच वर्ष	नियमित	-
	रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी में स्नातक (बीआरटीटी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (रेडियोथेरेपी प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	विकिरण चिकित्सा में स्नातकोत्तर (एमआरटी) (एकीकृत)	पांच वर्ष	नियमित	-

सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए डिग्री का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 9

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग का नाम: चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् और चिकित्सा सहयोगी

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	अधिगम का तरीका	टिप्पणी
जैव चिकित्सा इंजीनियर (आईएससीओ कोड- 2149)	जैव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा इंजीनियरि में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा और रोबोटिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा यंत्रीकरण में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-
	कंप्यूटर विज्ञान और चिकित्सा इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	अधिगम का तरीका	टिप्पणी
	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री (जैव चिकित्सा इंजीनियरी)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	चार वर्ष	नियमित	-
	जैव इंजीनियरी में स्नातक	चार वर्ष	नियमित	-
	जैव इंजीनियरी में मास्टर्स डिग्री (एकीकृत)	पांच वर्ष	नियमित	-
	जैव इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा इंजीनियरी में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा यंत्रीकरण में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा यंत्रीकरण और सिग्नल प्रोसेसिंग में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	जैव चिकित्सा सिग्नल प्रोसेसिंग और यंत्रीकरण में मास्टर्स डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	नैदानिक इंजीनियरी में मास्टर डिग्री	दो वर्ष	नियमित	-
	बी.एस.सी. (ऑनर्स) (विशेषज्ञता जैव चिकित्सा यंत्रीकरण)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एस.सी. (ऑनर्स) (विशेषज्ञता चिकित्सा यंत्रीकरण)	चार वर्ष	नियमित	-
	एम.एस.सी. (विशेषज्ञता जैव चिकित्सा यंत्रीकरण)	दो वर्ष	नियमित	-
	एम.एस.सी. (विशेषज्ञता चिकित्सा यंत्रीकरण)	दो वर्ष	नियमित	-
चिकित्सा उपस्कर प्रौद्योगिकविद (आईएससीओ कोड – 3211)	इंजीनियरी में डिप्लोमा (विशेषज्ञता जैव चिकित्सा यंत्रीकरण)	दो या तीन वर्ष (कम से कम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	इंजीनियरी में डिप्लोमा (विशेषज्ञता चिकित्सा यंत्रीकरण)	दो या तीन वर्ष (कम से कम 2000 घंटे)	नियमित	
	इंजीनियरी में डिप्लोमा (विशेषज्ञता चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स)	दो या तीन वर्ष (कम से कम 2000 घंटे)	नियमित	
चिकित्सक सहयोगी	चिकित्सा सहयोगी स्नातक (बी.पीए)	चार वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा सहायक स्नातक	तीन वर्ष	नियमित	-

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	अधिगम का तरीका	टिप्पणी
(आईएससीओ कोड- 3256)	चिकित्सा सहायक स्नातकोत्तर डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	चिकित्सा सहायक उन्नत पीजी डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा सहायक पीजी डिप्लोमा	तीन वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा सहायक दो वर्ष का पीजी डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	बीएससी (चिकित्सा सहायक या सहयोगी) और चिकित्सा सहायक या सहयोगी स्नातक	चार वर्ष	नियमित	
	चिकित्सा सहायक स्नातक (प्रवेश वर्ष 2021 तक)	तीन वर्ष	नियमित	
	चिकित्सा सहायक पद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (प्रवेश वर्ष 1993 तक)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकारी अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला कार्यक्रम होना चाहिए। गैर-सरकारी बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	चिकित्सा सहायक में उन्नत पीजी डिप्लोमा (2 वर्ष, प्रवेश वर्ष 2020 तक)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	पीजी डिप्लोमा चिकित्सा सहायक (प्रवेश वर्ष 2010 तक)	तीन वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा सहायक -दो वर्ष का पीजी डिप्लोमा (प्रवेश वर्ष 2017 तक)	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
कार्डियोवैस्कुलर प्रौद्योगिकविद (आईएससीओ कोड- 3259)	बी.एससी. (कार्डियोवैस्कुलर प्रौद्योगिकी)(सीवीटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (कार्डियक केयर प्रौद्योगिकी (सीसीटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी.(ऑनर्स) (कार्डियोवैस्कुलर प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-

वृत्ति	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	अधिगम का तरीका	टिप्पणी
	बी.एससी. (कार्डियक केयर प्रौद्योगिकी और कार्डियोवैस्कुलर प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	कार्डियोवैस्कुलर प्रौद्योगिकी में स्नातक (बीसीवीटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-

पर्फ्यूजनिस्ट (आईएससीओ कोड- 3259)	बी.एससी. (पर्फ्यूजन प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (एएचएस) कार्डियोवास्कुलर पर्फ्यूजन प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (कार्डियो) पर्फ्यूजन प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (कार्डियक) पर्फ्यूजन प्रौद्योगिकी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	कार्डियक में बी.एससी. फुफ्फुसीय और पर्फ्यूजन देखरेख प्रौद्योगिकी	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
श्वसन प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड- 3259)	श्वसन प्रौद्योगिकी स्नातक	तीन वर्ष + एक वर्ष प्रशिक्षण	नियमित	-
	श्वसन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारी मान्यता प्राप्त प्रोग्राम होना चाहिए। अशासकीय बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) टेक्नोलॉजिस्ट या इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) टेक्नोलॉजिस्ट (आईएससीओ कोड- 3259)				अद्यतन किया जाएगा

इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईईजी) या इलेक्ट्रोन्यूरोडायग्रोस्टिक (ईएनडी) या इलेक्ट्रोमायोग्राफी (ईएमजी) प्रौद्योगिकीविद या न्यूरो लैब टेक्नोलॉजिस्ट या स्लीप लैब टेक्नोलॉजिस्ट (आईएससीओ कोड- 3259)				अद्यतन किया जाएगा
डायलिसिस थेरेपी प्रौद्योगिकीविदों या यूरोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट (आईएससीओ कोड- 3259)	डायलिसिस थेरेपी का डिप्लोमा (डी.डी.टी)	दो वर्ष और छह मास(कम से कम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदितया सरकारी मान्यताप्राप्त प्रोग्राम होना चाहिए। अशासकीय बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	डायलिसिस थेरेपी प्रौद्योगिकी में स्नातक(बी.डीटीटी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (सहबद्धस्वास्थ्य साइंसेज (रीनल डायलिसिस प्रौद्योगिकी))	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान (डायलिसिस प्रौद्योगिकी))	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (रीनल डायलिसिस प्रौद्योगिकी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (डायलिसिस प्रौद्योगिकी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (डायलिसिस थेरेपी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और डायलिसिस प्रौद्योगिकी)	चार वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (यूरोलॉजी प्रौद्योगिकी)	तीन वर्ष+ एक वर्ष की प्रशिक्षुता	नियमित	-

	बीएससी सहबद्धस्वास्थ्य साइंसेज (यूरोलॉजी प्रौद्योगिकी)	तीन वर्ष+ एक वर्ष की प्रशिक्षुता	नियमित	-
--	--	----------------------------------	--------	---

सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए डिग्री का नाम

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग संख्या: 10

मान्यता प्राप्त प्रवर्ग का नाम: **स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन**

व्यवसाय	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने का तरीका	टिप्पणी
स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन वृत्तिक(चिकित्सा अभिलेख विश्लेषक सहित) और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रौद्योगिकीविद् (आईएससीओ कोड- 3252)	स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन डिप्लोमा (डी.एचआईएम)	दो वर्ष और छह मास (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला प्रोग्राम होना चाहिए। अशासकीय बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन में विज्ञान स्नातक बी.एससी. (एचआईएम)	चार वर्ष	नियमित	-
	स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस एम.एससी. (एचआईएम)	दो वर्ष	नियमित	-
क्लिनिकल कोडर (आईएससीओ कोड- 3252) चिकित्सा सचिव और चिकित्सा प्रतिलेखनकर्ता (आईएससीओ कोड- 3344)	चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में डिप्लोमा	दो वर्ष(न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	डिप्लोमा सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारी मान्यता वाला प्रोग्राम होना चाहिए। अशासकीय बोर्ड/निकाय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।
	चिकित्सा अभिलेख प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	दो वर्ष(न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में पीजी डिप्लोमा	दो वर्ष (न्यूनतम 2000 घंटे)	नियमित	
	चिकित्सा अभिलेख प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक (बीएससी एमआरटी)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में बी.एससी. (बी.एम.आर.एस.)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	बी.एससी. (स्वास्थ्य सूचना	न्यूनतम	नियमित	-

व्यवसाय	मान्यता प्राप्त अर्हता	पाठ्यक्रम की अवधि	सीखने का तरीका	टिप्पणी
	प्रबंधन) बी.एससी. (एचआईएम)	तीन वर्ष		
	बी.एससी. (स्वास्थ्य सूचना प्रशासन/बीएससीस्वास्थ्य सूचना और प्रशासन) बी.एससी. (एचआईए)	न्यूनतम तीन वर्ष	नियमित	-
	एम.एससी. (अस्पताल और स्वास्थ्य सूचना प्रशासन) एम.एससी. (एचएचआईए)	दो वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रलेखीकरण में एम.ए.पी.एस.सी.	दो वर्ष	नियमित	-
	चिकित्सा प्रलेखीकरण में एम.एससी.	दो वर्ष	नियमित	-
	एम.एससी. (स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन) एम.एससी. (एचआईएम)	दो वर्ष	नियमित	-

टिप्पणः

- एम. एप.एससी. से मास्टर ऑफ एप्लाइड साइंस अभिप्रेत है

अतिरिक्त अर्हता:

एक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेखवृत्तिक जिसके पास एक मान्यता प्राप्त आधारभूतसहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख अर्हता है और तत्पश्चात यूजीसी सेमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित अंडर-ग्रेजुएशन प्रोग्राम में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या पीएचडी प्राप्त की है, को अतिरिक्त अर्हता के लिए विचार किया जाएगा।

अनुसूची -2

प्ररूप आर-1

[विनियमन 4(2) (देखिए)]

केंद्रीय या राज्य सहवद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम [ब्लॉक अक्षरों में]:

2. लिंग: पुरुष/महिला/अन्य

3. आयु:

4. जन्म तारीख:

5. जन्म स्थान

6. पिता का नाम:

7. माता का नाम:

8. क्या आप भारत के नागरिक हैं:

a. जन्म से या

b. अधिवास द्वारा

9. स्थायी पता:

10. वर्तमान उपजीविका और पता

11. ई-मेल:

12. मोबाइल नं.:

13. विधिमान्य आईडी प्रमाण(आधार/पासपोर्ट/मतदाता आईडी) के ब्यौरे :

14. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के भुगतान के ब्यौरे

15. संबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख अहर्ता से पहले/सेभिन्नशैक्षिक अहर्ता के ब्यौरे

शैक्षणिक अहर्ता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य			
ज्येष्ठ माध्यमिक या समतुल्य			

16. संबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख अहर्ता के ब्यौरे जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण लागू किया गया है:

अहर्ता का नाम	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम की अवधि (शिक्षुता के साथ)	अस्पताल/शिक्षुता संस्थान का नाम और पता	प्रवेश की तारीख और उत्तीर्ण होने का वर्ष

वर्तमान पासपोर्ट
आकार का फोटो

17. वे राज्य जिनमें आवेदक मान्यता प्राप्त वृत्ति का व्यवसाय करने का इच्छुक है:

18. अनुभव सहित कोई अन्य टिप्पणी/जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है:

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही हैं।

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम: _____

टिप्पण:

1. आवेदन पत्र उचिततौर से और सफाईसे भरा जाना चाहिए।
2. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज:

क. विश्वविद्यालय/या महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष से मूल या अनंतिम प्रमाण पत्र में डिग्री या डिप्लोमा जो आवेदक डिग्री के अधिनिर्णयके लिए पात्र है, उसकी सत्यापित प्रतियों के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किया जा सकता है:

ख. महाविद्यालय के संकायाध्यक्षद्वारा जारी व्यवसाय/ शिक्षता (अनिवार्य चक्रानुक्रमी अंतःशिक्षता) के पूरा होने के प्रमाण पत्र की सम्यक रूपसे सत्यापित प्रति।

ग. मूल रूप में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

घ. कार्यक्रम में अपनाए गए पाठ्यक्रम की सॉफ्टकॉपी

ड. दो वर्तमान पासपोर्ट आकार के फोटो सामने की ओर देखते हुए।

च. आवेदन के साथ प्रदान की गई दो स्वयं-चस्पाकरनेवाली पर्चियों पर हस्ताक्षर

छ. अनुभव का प्रमाण

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

प्ररूप आर-2

[विनियम 4(7), 8(1), 16(1) देखिए]

केंद्रीय/राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों के रजिस्टर के ब्यौरे में उपांतरण के लिए आवेदन प्ररूप

1. वृत्तिक का नाम:
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. यूआईडी नंबर:
4. केंद्रीय/राज्य रजिस्टर में परिवर्तन कि/ए जाने वाले ब्यौरे:
5. केंद्रीय :राज्य रजिस्टर के परिवर्तन किए जाने वाले ब्यौरे की आवश्यकता के लिए तर्क/
6. सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न करें जैसा कि आयोग केंद्रीय/राज्य रजिस्टर में परिवर्तन किए जाने वाले ब्यौरे के प्रकार के / आधार पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम: _____

प्ररूप आर-3

[विनियम 9(5) और 14(1) देखिए]

केंद्रीय/राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्यदेखरेखवृत्तिकों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए और नवीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

1. वृत्तिक का नाम:
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. यूआईडी नंबर:
4. प्राप्त करने के वर्ष के साथ रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त अहर्ताएं:
5. पता और फोन नंबर जैसा कि केंद्रीय/राज्य रजिस्टर में दिया गया है:
6. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक राजधानियों में वर्तमान पता।
7. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक राजधानियों में स्थायी पता।
8. भुगतान व्यौरें:

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम: _____

प्ररूप आर-4

[विनियम 11 और 15 (1) देखिए]

द्विप्रतिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

1. वृत्तिक का नाम:
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. नवीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या : (यदि लागू हो)
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र : (जैसा लागू हो) नवीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख /
5. यूआईडी नंबर:
6. प्राप्त करने के वर्ष के साथ रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त अहर्ताएं:
7. पता और फोन नंबर जैसा कि केंद्रीय/राज्य रजिस्टर में दिया गया है/
8. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक राजधानियों में वर्तमान पता।
9. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक राजधानियों में स्थायी पता।
10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र / नवीनीकरण के प्रमाण पत्र का द्विप्रतिक जैसा लागू हो) विनिर्दिष्ट करें(
11. भुगतान व्यौरें:
12. सहायक दस्तावेज के साथ द्विप्रतिक प्रमाण पत्र जारी करने का विस्तृत कारण।

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम: _____

प्ररूप आर-5क

[विनियम 19(1) देखें]

विदेशी अर्हित सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के जारी करने के लिए आवेदन पत्र (भारत के नागरिक के लिए)

1. आवेदक का नाम [ब्लॉक अक्षरों में]:

2. प्रवर्ग के साथ वृत्ति:

3. लिंग: पुरुष/महिला/अन्य

4. आयु:

5. जन्म तारीख:

6. जन्म स्थान

7. पिता का नाम:

8. माता का नाम:

9. क्या आप भारत के नागरिक हैं:

c. जन्म से या

d. अधिवास द्वारा

10. स्थायी पता:

11. वर्तमान व्यवसाय और पता:

12. निवास की स्थिति:

13. ई-मेल:

14. मोबाइल नं.:

15. विधिमान्य आईडी प्रमाण(आधार/पासपोर्ट/मतदाता आईडी) के ब्यौरे :

16. रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क के भुगतान के ब्यौरे :

17. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख अर्हता से पहले/सेभिन्न शैक्षिक अर्हता के ब्यौरे

वर्तमान पासपोर्ट
आकार का फोटो

शैक्षणिक अर्हता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य			
ज्येष्ठ माध्यमिक या समतुल्य			

18. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख अहर्ता के ब्यौरे जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण लागू किया गया है:

अहर्ताएं) और मध्यम कीनामपद्ध ति	सं स्था का नाम	पते के साथ विश्वविद्याल य का नाम	विश्वविद्यालय/ और पाठ्यक्रम/कार्यक्र म और देश को मान्यता देने वाले विनियामक प्राधिकरण का नाम	पाठ्यक्रम/कार्यक्र म की अवधि और सीखने का तरीका	प्रवे श का मास और वर्ष	उत्तीर्णकरने का मास और वर्ष

19. शिक्षुता / नैदानिक प्रशिक्षण / क्षेत्रकार्यके ब्यौरे (यदि कोई हो):

कार्यक्रम का नाम (शिक्षुता / नैदानिक प्रशिक्षण / क्षेत्र कार्य)	संगठन का नाम और पता	कार्यक्रम के प्रारंभ की तारीख	कार्यक्रम के पूरा होने की तारीख	कुल घंटे	कर्तव्यों के ब्यौरे

20. वृत्तिक अनुभव :

क्र.स.	पदनाम	देश के नाम सहित संगठन का नाम और पता	से	तक	अनुज्ञप्ति/ वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण संख्या	पूरे पते के साथजारीकर्ता प्राधिकारी का नाम

21. पासपोर्ट के ब्यौरे :

पासपोर्ट नं.	जारी करने की तारीख	समाप्ति की तारीख	

22. विनियामक निकाय से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया हो :यदि कोई हो ,

23. क्या आपको कभी किसी भी देश या विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी भी चिकित्सा/ सहबद्ध

और स्वास्थ्य देखरेख अनुज्ञप्ति, परमिट या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने, निलंबन या प्रतिसंहरण का सामना करना पड़ा है? ☐ हाँ ☐ नहीं

24. क्या आप वर्तमान में किसी देश में चिकित्सा या वृत्तिक व्यवसाय से संबंधित किसी विधिक, अनुशासनिक, या विनियामक कार्यवाहियों में सम्मिलित है या का सामना कर रहे हैं ?

☐ हाँ ☐ नहीं

25. व्यवसाय करने के लिए इच्छुक राज्य :

26. कोई अन्य टिप्पणी/जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है।

घोषणा:

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि:

I. मैंने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) और भारत में अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी लागू नियमों, विनियमों, मार्ग दर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

II. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे दी गई कोई भी अनुमति, रजिस्ट्रीकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी अनुज्ञप्ति भारत में नियमित या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए निहित अधिकार नहीं माना जाएगा, और ऐसी अनुमति केवल अनुमोदित प्रयोजन और अवधि के लिए ही विधिमान्य है।

III. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक के रूप में व्यावहारिक कार्य/अध्ययन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अर्हक हूँ।

IV. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होती है, तथ्यों को छुपाने या गलत जानकारी देने का आरोप सिद्ध होने पर रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति अस्वीकृत या रद्द किया जाएगा तथा लागू विधि के अनुसार विधिक कार्यवाई की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पण :-

1. आवेदन पत्र को यथोचित और साफ-सुथरे ढंग से भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :

क. आवेदक को डिग्री प्रदान करने के लिए पात्र घोषित करने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी मूल डिग्री या डिप्लोमा या अनंतिम प्रमाण पत्र, साथ ही उसकी सत्यापित प्रतियां रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की जाएंगी:

ख. महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षुता पूर्ण होने के प्रमाण पत्र (अनिवार्य रोटेटिंग प्रशिक्षुता) की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति।

ग. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है।

घ. सामने से ली गई पासपोर्ट आकार की दो अभिनव तस्वीरें।

ङ. आवेदन के साथ दी गई दो स्व-चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।

च. आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य सभी सहायक दस्तावेज

छ. अनुभव का साक्ष्य।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस का सबूत संलग्न किया जाएगा।

4. भारतीय पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति

घोषणा:

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि:

- I. मैंने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) और भारत में अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी लागू नियमों, विनियमों, मार्ग दर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।
- II. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे दी गई कोई भी अनुमति, रजिस्ट्रीकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी अनुज्ञप्ति भारत में नियमित या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए निहित अधिकार नहीं माना जाएगा, और ऐसी अनुमति केवल अनुमोदित प्रयोजन और अवधि के लिए ही विधिमान्य है।
- III. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक के रूप में व्यावहारिक कार्य/अध्ययन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अर्हक हूँ।
- IV. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होती है, तथ्यों को छुपाने या गलत जानकारी देने का आरोप सिद्ध होने पर रजिस्ट्रीकरण /अनुज्ञप्ति अस्वीकृत या रद्द किया जाएगा तथा लागू विधि के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पण :-

1. आवेदन पत्र को यथोचित और साफ-सुथरे ढंग से भरा जाएगा।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :
 - क. आवेदक को डिग्री प्रदान करने के लिए पात्र घोषित करने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी मूल डिग्री या डिप्लोमा या अनंतिम प्रमाण पत्र, साथ ही उसकी सत्यापित प्रतियां रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की जाएंगी:
 - ख. महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षुता पूर्ण होने के प्रमाण पत्र (अनिवार्य रोटेटिंग प्रशिक्षुता) की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति।
 - ग. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है।
 - घ. सामने से ली गई पासपोर्ट आकार की दो अभिनव तस्वीरें।
 - ङ. आवेदन के साथ दी गई दो स्व-चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।
 - च. आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य सभी सहायक दस्तावेज
 - छ. अनुभव का साक्ष्य।
3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस का सबूत संलग्न किया जाएगा।
4. भारतीय पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति

प्ररूप आर-5ख

[विनियम 21(1)(ख) और 21(2)(ख) देखें]

विदेशी अर्हक संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र (भारत के नागरिकों के लिए)

1. आवेदक का नाम [स्पष्ट अक्षरों में]:
2. वर्ग सहित वृत्ति :
3. लिंग: पुरुष/महिला/अन्य
4. आयु:
5. जन्म तारीख :नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
6. जन्म स्थान
7. पिता का नाम:
8. माता का नाम:
9. क्या आप भारत के नागरिक हैं?
- ड. जन्म से या
- च. निवास स्थान द्वारा
10. स्थायी पता:
11. वर्तमान व्यवसाय और पता:
12. निवास का राज्य:
13. ई-मेल:
14. मोबाइल संख्या:
15. विधिमान्य पहचान प्रमाण पत्र का ब्यौरे (आधार/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र):
16. रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन (कृपया जहां लागू हो वहां सही का चिन्ह लगाएं):
- ☐ उच्च शिक्षा/शैक्षणिक सेतुकरण

(उदाहरणार्थ, स्नातकोत्तर (डिग्री/डिप्लोमा), फेलोशिप, अनुसंधान कार्य)

☐ कार्यशाला/प्रशिक्षण ☐☐☐ शिक्षण ☐☐☐☐ अवलोकन ☐☐☐ नैदानिक कार्य

☐ सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्य, ☐☐ आयोजन (खेल/सांस्कृतिक/अन्य कोई)

17. कार्यक्रम की विषयवस्तु, अवधि, प्रशिक्षण सुविधाएं, शिक्षण और अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित जानकारी (मान्यता प्राप्त संस्थान की वेबसाइट पर ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएंगे):

18. मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस का ब्यौरे:

19. प्रत्येक व्यावहारिक प्रमाण पत्र प्रोग्राम/नैदानिक प्रशिक्षण /प्रेक्षकता/व्यावहारिक कार्यशाला में नामांकित प्रतिभागियों की संख्या (जो किसी भी समय 30 व्यक्तियों से अनधिक होगी)

20. आयोग के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के भुगतान का ब्यौरे :

21. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संबंधी अर्हताओं के सिवाय अन्य शैक्षणिक अर्हताओं का ब्यौरे

शैक्षणिक अर्हता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य			
सीनियर सेकेंडरी या			

समतुल्य						
22. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संबंधी अर्हता के ब्यौरे जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है						
अर्हता और माध्यम का नाम	संस्थान का नाम	विश्वविद्यालय का नाम और पता	विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को मान्यता देने वाले विविनियामक प्राधिकरण का नाम और देश	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि और शिक्षण मोड	प्रवेश का माह और वर्ष	उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष

23. प्रशिक्षुता/नैदानिक प्रशिक्षण/व्यवहारिक कार्य (यदि कोई है) के ब्यौरे :

कार्यक्रम (प्रशिक्षुता/नैदानिक प्रशिक्षण/व्यवहारिक कार्य) का नाम	संगठन का नाम और पता	कार्यक्रम प्रारंभ होने की तारीख	कार्यक्रम के पूर्ण होने की तारीख	कुल घंटे	कर्तव्यों के विवरण

24. भारत से बाहर संचालित व्यावहारिक कार्य के लिए वृत्तिक अनुभव और रजिस्ट्रेशन प्रमाणीकरण (यदि कोई हो) के ब्यौरे :

क्र.सं.	पदनाम	देश के नाम सहित संगठन का नाम और पता	से	तक	अनुज्ञप्ति/ वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम और पूरा पता

25. पासपोर्ट के ब्यौरे :

देश का नाम	पासपोर्ट संख्या	जारी करने की तारीख	समाप्ति की तारीख

26. प्रवास के ब्यौरे :

- भारत में प्रवास की अवधि (माह /दिवस में):
- अपेक्षित आरंभ तारीख :
- अपेक्षित समाप्ति तारीख :
- स्थान/जिला/राज्य:
- संस्थान/अस्पताल/निदानशाला/प्रयोगशाला आदि का नाम
- पता और सहायक दस्तावेज (स्वीकृति पत्र/आमंत्रण पत्र आदि)

27. कृपया उन देशों की सूची दें जिन्होंने पहले ही इसी प्रकार की अनुमति/अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है?

देश का नाम	विनियामक निकाय का नाम	अनुज्ञप्ति अनुमति/निर्दिष्ट संख्या यदि कोई है

28. यदि आप पहले से रजिस्ट्रीकृत हैं, तो कृपया विनियामक निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

29. क्या आपको कभी किसी देश या विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी चिकित्सा/संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने, निलंबित होने या निरस्त होने का अनुभव हुआ है?

हाँ ☐ ☐ नहीं ☐ ☐

30. क्या आप किसी देश में अपने चिकित्सा या वृत्तिक व्यावहारिक कार्य से संबंधित किसी विधिक , अनुशासनात्मक या विनियामक कार्यवाही में सम्मिलित रहे हैं या वर्तमान में उसका सामना कर रहे हैं?

हाँ ☐ ☐ नहीं ☐ ☐

31. व्यावहारिक कार्य करने के लिए वांछित राज्य:

32. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी/टिप्पणी।

घोषणा:

मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि:

हाँ ☐ ☐ नहीं ☐ ☐

I. मैंने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएचपी) और भारत में अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी लागू नियमों, विनियमों, मार्ग दर्शक सिद्धांतों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

II. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझे अनुदत्त की गई कोई भी अनुमति, रजिस्ट्रीकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी अनुज्ञप्ति भारत में नियमित या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए निहित अधिकार नहीं माना जाएगा, और ऐसी अनुमति केवल अनुमोदित प्रयोजन और अवधि के लिए ही विधिमान्य है।

III. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक के रूप में व्यावहारिक कार्य/अध्ययन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अर्हक हूँ।

IV. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, या तथ्यों को छिपाने अथवा गलत बयानी करने का आरोप सिद्ध होता है, तो मेरा रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा और मुझ पर लागू विधि के अनुसार विधिक कार्यवाई की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर:

तारीख:

टिप्पण:

1. आवेदन पत्र को सम्यक रूप से और स्पष्ट रूप से भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे :

क. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी मूल डिग्री या डिप्लोमा अथवा अनंतिम प्रमाण-पत्र, जो आवेदक को डिग्री प्रदान करने हेतु पात्र घोषित करता हो, साथ ही उसकी सत्यापित प्रतियां रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न की जाएंगी।

ख. महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षुता (अनिवार्य रोटेटिंग प्रशिक्षुता) पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति।

ग. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है।

घ. सामने से ली गई पासपोर्ट आकार की दो अभिनव तस्वीरें।

ड. आवेदन के साथ दी गई दो स्व-चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।

च. आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य सभी सहायक दस्तावेज़

छ. अनुभव का साक्ष्य।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस का सबूत संलग्न किया जाएगा।

4. भारतीय पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति।

प्ररूप -5 ग
[विनियम 22(1) देखें]

प्रायोजित विदेशी अर्हक संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र (विदेशी नागरिकों के लिए)

1. आवेदक का नाम [स्पष्ट अक्षरों में]:
2. व्यवसाय और श्रेणी:
3. लिंग: पुरुष/महिला/अन्य
4. आयु:
5. जन्मतारीख :
6. जन्म स्थान: नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
7. पिता का नाम:
8. माता का नाम:
9. राष्ट्रियता:
10. स्थायी आवासीय पता:
11. वर्तमान व्यवसाय और पता:
12. ईमेल:
13. मोबाइल संख्या:
14. रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं):
☐ उच्च शिक्षा/शैक्षणिक एकीकरण
 (उदाहरण के लिए, स्नातकोत्तर (डिग्री/डिप्लोमा), फेलोशिप, अनुसंधान कार्य
☐ कार्यशाला/प्रशिक्षण ☐☐☐ शिक्षण ☐☐☐☐ अवलोकन ☐☐☐ नैदानिक कार्य
☐ सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्य, ☐☐ आयोजन (खेल/सांस्कृतिक/अन्य कोई)
15. रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान का ब्यौरे :

16. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अर्हताओं के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक अर्हताओं का ब्यौरे :

शैक्षणिक अर्हता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य			
सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य			

17. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संबंधी अर्हता के ब्यौरे जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया है:

अर्हता (अर्हताएं) का नाम और माध्यम	संस्था का नाम	विश्वविद्यालय का नाम और पता	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को मान्यता देने वाले विनियामक प्राधिकरण का नाम और देश	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि और मोड	प्रवेश का माह और वर्ष	उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष

18. प्रशिक्षुता/नैदानिक प्रशिक्षण/व्यवहारिक कार्य (यदि कोई है) के ब्यौरे

कार्यक्रम (प्रशिक्षुता/नैदानिक)	संगठन का नाम और पता	कार्यक्रम प्रारंभ होने	कार्यक्रम के पूर्ण होने की	कुल घंटे	कर्तव्यों के विवरण
---------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	----------	--------------------

प्रशिक्षण/व्यवहारिक कार्य) का नाम		की तारीख	तारीख		

19. वृत्तिक अनुभव :

क्र.सं.	पदनाम	देश के नाम सहित संगठन का नाम और पता	से	तक	अनुज्ञप्ति/ वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम और पूरा पता

20. पासपोर्ट के ब्यौरे :

देश का नाम	पासपोर्ट संख्या	जारी करने की तारीख	समाप्ति की तारीख

21. वीजा के ब्यौरे:

वीजा संख्या	वीजा का प्रकार	जारी करने की तारीख	समाप्ति की तारीख

22. प्रवास के ब्यौरे :

i. भारत में प्रवास की अवधि (माह /दिवस में):

ii. अनुमानित प्रारंभ तारीख :

iii. अनुमानित अंतिम तारीख :

iv. स्थान/जिला/राज्य:

v. संस्थान/अस्पताल/निदानशाला/प्रयोगशाला आदि का नाम:

vi. सहायक दस्तावेजों (स्वीकृति पत्र/आमंत्रण पत्र आदि) का ब्यौरे दें।

23. कृपया उन देशों की सूची प्रस्तुत करें जिन्होंने पूर्व में इसी प्रकार की अनुमति/अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है?

देश का नाम	विनियामक निकाय का नाम	अनुमति/अनुज्ञप्ति/निर्दिष्ट संख्या यदि कोई है

24. यदि किसी पूर्व-रजिस्ट्रीकृतविनियामक निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है:

25. क्या आपको किसी देश या विनियामक संस्था द्वारा किसी चिकित्सा/संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा अनुज्ञप्ति , अनुज्ञा पत्र या रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने, निलंबित होने या निरस्त होने का अनुभव हुआ है?

हाँ ☐ नहीं ☐

26. क्या किसी देश आप अपने चिकित्सा या वृत्तिकव्यावहारिक कार्य से संबंधित किसी विधिक, अनुशासनात्मक या विनियामक कार्यवाही में सम्मिलित रहे हैं या वर्तमान में उसका सामना कर रहे हैं?

हाँ ☐ नहीं ☐

27. व्यावहारिक कार्य के लिए अधीक्षक राज्य:

28. आपातकालीन संपर्क जानकारी:

(i) व्यक्ति का नाम:

(ii) आवेदक के साथ संबंध:

(iii) पता:

(iv) मोबाइल संख्या:

(v) ई-मेल आईडी:

29. क्या भारत में आपका कोई संपर्क है?

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ:

(i) व्यक्ति का नाम:

(ii) आवेदक के साथ संबंध:

(iii) पता:

(iv) मोबाइल संख्या:

(v) ई-मेल आईडी:

30. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य टिप्पणी/जानकारी।

घोषणा:

मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि:

I. मैंने राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्ति (एनसीएएचपी) तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के लिए जारी सभी लागू नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों और निदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

II. मैं यह समझता/समझती हूँ कि मुझे अनुदत्त की गई कोई भी अनुमति, रजिस्ट्रीकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अथवा अस्थायी अनुज्ञप्ति भारत में नियमित या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई निहित अधिकार नहीं माने जाएंगे, और ऐसी अनुमति केवल अनुमोदित प्रयोजन और अवधि हेतु ही विधिमान्य होगी।

III. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक के रूप में व्यावहारिक कार्य/अध्ययन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अर्हक हूँ।

IV. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है, तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप सिद्ध होता है, तो मेरा रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा, तथा लागू विधि के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पण: -

1. आवेदन पत्र को सम्यक रूप से और स्पष्ट रूप से भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

क. आवेदक को डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी मूल डिग्री, डिप्लोमा, या अनंतिम प्रमाण पत्र, साथ ही उसकी सत्यापित प्रतियां रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की जा सकती हैं।

ख. महाविद्यालय के डीन द्वारा जारी व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षुता पूर्ण होने के प्रमाण पत्र (अनिवार्य रोटेटिंग प्रशिक्षुता) की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति।

ग. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मूलप्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है।

घ. सामने से ली गई पासपोर्ट आकार की दो अभिनव तस्वीरें।

ङ. आवेदन के साथ दी गई दो स्व-चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।

च. आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य सभी सहायक दस्तावेज।

छ. अनुभव का साक्ष्य।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस का सबूत संलग्न किया जाएगा।

4. पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति।

प्ररूप—क
[विनियम 20(5) देखें]

प्रमाण पत्र संख्या:एनसीएएचपी/

यूआईडी संख्या:टीआर-

पूरा नाम
(पु)/(स्त्री) /अन्य
पिता/माता का नाम
स्थायी पता
अर्हता//समानता
वृत्ति का नाम/वर्ग
प्रमाण पत्र की विधिमान्यता

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक रजिस्टर में उपरोक्त विनिर्दिष्ट नाम की यह सत्य प्रति है।

(मुहर)
सचिव, एनसीएएचपी
नई दिल्ली
तारीख:

अनुसूची 3
[नियम 24 देखें]

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
2. नाम:
3. पिता का नाम / माता का नाम
4. लिंग:
5. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
6. राज्य (संबंधित राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के आधार पर):
7. कार्यस्थल/व्यावहारिक कार्य स्थल का नाम
8. प्राथमिक अर्हता:
9. अतिरिक्त अर्हता(एँ):
10. विशेषता:
11. अर्हता उत्तीर्ण करने का वर्ष:
12. संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम (जहाँ से अर्हता प्राप्त की गई):
13. विधिमान्यरजिस्ट्रीकरण की अवधि:
14. यूआईडी संख्या:
15. व्यावहारिक कार्य की राज्य (समय-समय पर संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर):
16. प्रास्थिति (सक्रिय / निष्क्रिय):

उमेश बलोंदा, सचिव, राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्ति आयोग
[विज्ञापन-III/4/असा./319/2026-27]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(National Commission For Allied And Healthcare Profession)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

No. Z-1011/16/2025/NCAHP(AHS).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (f), (g), (h), (k), (l), (m), (n), (q) and (v) of sub-section (2) of section 66 read with clauses (f), (k) and (n) of sub-section (1) of section 11, sub-sections (1) and (2) of section 13, section 19, sub-sections (1) and (2) of section 32, sub-section (4) of section 33, sub-section (2) of section 36 and section 39 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the National Commission for Allied and Healthcare Profession, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations relating to registration of allied and healthcare professionals, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Registration of Allied and Healthcare Professionals Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);
- (b) “additional qualification” means higher or other recognised qualification that can be obtained by a registered allied and healthcare professional in a given recognised profession and included in the Central Register;
- (c) “certificate of registration” means the certificate including digital certificate issued by the Commission or State Council upon completion of registration of an allied and healthcare professional with the Central Register or State Register respectively, and the terms ‘Central Certificate of Registration’ and ‘State Certificate of Registration’ shall be construed accordingly;
- (d) “certificate of temporary registration” means the certificate issued by the Commission upon granting temporary registration to a foreign qualified allied and healthcare professional or a sponsored foreign allied and healthcare;
- (e) “Duplicate Certificate” means the certificate issued to a registered allied and healthcare professional by the Commission or the State Council, as the case may be, in the event of loss or destruction of the original certificate of registration, and the terms ‘Central Duplicate Registration Certificate’ and ‘State Duplicate Registration Certificate’ shall be construed accordingly;
- (f) “equivalency credential evaluation” means the evaluation process to determine the equivalency of the qualifications of a foreign qualification with the recognised qualifications under the Act;
- (g) “exit examination” means such examination as may be specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of section 11 of the Act;
- (h) “foreign allied and healthcare qualification” means such foreign qualification as recognised under section 39 of the Act;
- (i) “foreign qualified allied and healthcare professional” means a citizen of India, who holds a qualification granted by an institution outside India that is recognised under section 39 of the Act, but does not hold any recognised qualification from a recognised institution in India;
- (j) “good standing certificate” means the certificate issued by the State Council or the Commission, as the case may be, to certify the professional conduct of a registered allied and healthcare professional for the purpose of undertaking any education or professional practice outside India under these regulations;
- (k) “interim registration” means a registration granted to a person enrolled in a recognised institution to undertake any internship or practical training required for the fulfilment of such recognised qualifications;
- (l) “primary qualification” means the basic recognised qualification that has to be obtained by an allied and healthcare professional in order to practice any recognised profession, and included as the initial recognised qualification in the State Register and the Central Register as the case may be;
- (m) “provisional registration” means such temporary registration that is granted to a practicing professional under section 38 of the Act;
- (n) “recognised institution” means an allied and healthcare institution that has been recognised under the Act;
- (o) “recognised profession” means an allied and healthcare profession recognised under the Act;
- (p) “recognised qualification” means the qualification required for practice of allied and healthcare profession recognised by the Commission under the Act, including the curriculum and

mandatory internships, as may be specified by the Commission from time to time;

- (q) “registered allied and healthcare professional” means any allied and healthcare professional who has obtained registration under these regulations;
- (r) “registered foreign qualified allied and healthcare professional” means a foreign qualified allied and healthcare professional, who has been granted a registration for the practice of an allied and healthcare profession in India;
- (s) “registration” means the procedure for recording names and details of the allied and healthcare professionals in the Central Register or State Register, as the case may be, to entitle such allied and healthcare professionals to provide any service within the scope of practice of a recognised profession under the Act;
- (t) “removal” means omission of the name and details of a registered allied and healthcare professional from the Central Register and State Register, as the case may be;
- (u) “renewal” means the extension of validity for a further period of five years upon expiry of the validity period of a certificate of registration;
- (v) “restoration” means re-entering the name and details of an allied and healthcare professional in the State Register or the Central Register, as the case may be;
- (w) “rules” means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021;
- (x) “Schedule” means Schedules annexed to these regulations;
- (y) “sponsored foreign allied and healthcare professional” means a foreign national, who is enrolled as an allied and healthcare professional or such similar professional or has obtained the relevant qualification for such enrolment in accordance with the applicable laws of that country and who has been sponsored by an Indian sponsor for obtaining a temporary registration;
- (z) “temporary registration” means the registration of a foreign qualified allied and healthcare professional or a sponsored foreign allied and healthcare professional under section 39 of the Act that has been granted for a specific purpose in India and for a specified period, subject to other conditions, under these regulations;
- (za) “UID number” means a unique identification number provided to a registered allied and healthcare professional under these regulations.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONALS IN STATE REGISTER AND CERTIFICATE OF REGISTRATION

3. Requirement of registration for allied and healthcare professionals. – (1) A person shall be entitled to practice any recognised profession as an allied and healthcare professional after obtaining registration in the manner specified in these regulations.
- (2) A person shall be considered to have obtained the registration to practice a recognised profession under the Act, upon name of that person being included in the relevant State Register and in the Central Register, and upon having received the relevant UID number:

Provided that-

- (a) any person, who is a resident of any State or Union territory, where a State Council has not been established, shall register with the Central Register;

- (b) any person who offers his or her services in any of the recognised categories of allied and healthcare professions on or before the commencement of the Act, but does not possess the recognised qualification, shall be required to obtain provisional registration; and
 - (c) a foreign qualified allied and healthcare professional shall be allowed to obtain the registration to practice a recognised profession in India as per the regulations 19 and 20.
4. Registration of allied and healthcare professionals with the State Register. – (1) A person shall be considered eligible for registration with the State Register to practice any recognised profession as an allied and healthcare professional, if he or she, –
- (a) has obtained the recognised primary qualification, which is listed in Schedule I, from a recognised institution;
 - (b) has qualified the exit examination specified by the Commission:

Provided that until the Commission specifies the exit examination, the final examination conducted by recognised institution for awarding of recognised qualifications shall be construed as the exit examination under these regulations; and
 - (c) is residing in the State where he or she intends to register.
- (2) Every eligible allied and healthcare professional referred in sub-regulation (1) shall submit application in FORM R-1 as set out in the Schedule II along with the fee as may be prescribed by the State Government under section 33 of the Act to the State Council, which shall acknowledge the receipt of such application form and the fee.
- (3) The application referred to in sub-regulation (2) may be accepted or rejected by the State Council as per the provisions of these regulations within thirty working days from the date of receipt.
- (4) The State Council shall consider the application referred to in sub-regulation (2), verify all annexed documents, recognised qualification and other details with originals to ensure eligibility of the applicant, for grant of registration in the State Register and issue certificate of registration with UID number.
- (5) The UID number shall be generated through a centralised portal to each allied and healthcare professional containing country code, state abbreviation, professional category number, year of registration and unique number. For example: IND-GU-08-2025-XXXXXXXXXX along with QR code.
- (6) An allied and healthcare professional can apply for registration with one State Council at a time.
- (7) Any registered allied and healthcare professional, who seeks to practice in a State other than the State in which he or she is registered, shall intimate the same to the State Council by submitting an application in FORM R-2 as set out in the Schedule II with which he or she is registered. The State Council shall, upon receipt of such application, update the State Register with the relevant details of the States of practice of the registered allied and healthcare professional and intimate the same to the Commission to update the details.
5. Appeal to the Commission in the event of rejection of application for registration by the State Council.
- (1) Any application referred to in sub-regulation (2) of regulation 4 to the State Register may be rejected by the State Council through a reasoned order in writing and to be communicated to the applicant.
 - (2) Before such rejection, the applicant shall be provided an opportunity to correct required defects, if any in the application or documents.
 - (3) Upon rejection of the registration application by the State Council, the applicant may prefer an appeal to the Commission against the order issued by the State Council within one month from the date of receipt of such rejection.

(4) The appeal referred to in sub-regulation (3), shall be submitted to the Secretary to the Commission, along with the following documents, namely. –

- (a) original application submitted to the State Council;
- (b) copy of the rejection order;
- (c) a written application contending the grounds of rejection; and
- (d) proof of payment of processing fee of rupees five thousand to the Commission.

(5) The Commission may, while determining an appeal, consult the relevant Professional Council based on the primary qualification of the appellant, which shall examine the appeal and provide its comments to the Commission.

(6) If the appeal is allowed and a decision is taken in favour of the appellant, the Commission shall pass an order to the State Council to enter his or her name in the State Register and grant a certificate of registration. If the appeal is rejected or found not substantial, the Commission shall issue a reasoned order for such rejection.

(7) The process of appeal shall be completed within ninety working days from receipt of the appeal.

(8) Any such order passed by the Commission shall be binding on the State Council and it shall ensure compliance with the order.

6. Record of registration of allied and healthcare professionals in the Central Register. – (1) Each State Council shall forward the details of the allied and healthcare professionals, that are registered in the State Register in a month, to the Commission on the last working day of every month.

(2) The Commission shall, upon receipt of the details of registered allied and healthcare professionals, include the name of such allied and healthcare professionals in the Central Register.

(3) Upon registration with the Central Register, the allied and healthcare professional shall be entitled to practice the respective category(s) of recognised profession in any State as prescribed under section 15 of the Act and shall not be restricted to practicing in only that State under whose State Register they have been registered, provided that such professional has complied with the intimation procedure provided under these regulations.

7. Registration for additional qualifications. – (1) As and when a registered allied and healthcare professional obtains any additional qualification, which has been approved by the Commission, such professional shall submit an application to the Commission in FORM D as specified in the Schedule of the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Rules, 2021 along with a processing fee of rupees one thousand to the Commission for entering such additional qualification against his or her name in the Central Register.

(2) Upon registration of such additional qualification, entry of the concerned registered allied and healthcare professional in the Central Register shall be updated with the details of the additional qualification and the date of entering the additional qualification without any change in the period of validity and UID number.

(3) Upon updating the details in the Central Register, the State Register concerned shall also be updated without payment of any additional fees.

(4) Upon registration of an additional qualification with the Central Register, the registered allied and healthcare professional shall be allowed to practice in the field of specialisation or super-specialisation and provide such services commensurate with the additional qualification.

(5) No additional qualification shall be registered during the period that the registration of the allied and healthcare professional is marked as 'inactive' in the Central Register.

CHAPTER III

MODIFICATION, RENEWAL, REMOVAL OF REGISTRATION AND ISSUANCE OF DUPLICATE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

8. Modification of details in the State Register and Central Register. – (1) In the event of any required change in details of an allied and healthcare professional, registered with the State Register, such professional shall submit the modified details to the Secretary to the State Council in FORM R-2 as set out in Schedule II, along with relevant documents, and shall also clarify queries, if any, that may be raised by the State Council in this regard.
 - (2) The State Council shall, upon verifying with the original documents, update the details in the State Register.
 - (3) Upon updating the State Register, the State Council shall forward the modified details of registered allied and healthcare professional to the Commission to update the same in the Central Register.
9. Renewal of registration with the State Register. – (1) The registration of an allied and healthcare professional under the State Register and the Central Register, as the case may be, shall be valid for a period of five years, after which the registered allied and healthcare professional shall be required to renew registration upon payment of such fee as may be prescribed by the State Government under sub-section (1) of section 35 of the Act.
 - (2) The registration of an allied and healthcare professional shall be renewed if he or she has –
 - (a) undertaken continuous professional development education for a minimum of fifteen hours in a year and a total of seventy-five hours during the five-year period of validity of the registration. The continuous professional development education may be by attending conferences, workshops, seminars, training programmes and faculty development programmes, out of which the online mode shall not be over fifty per cent;
 - (b) submitted a self-certified true copy of the certificate of attendance pertaining to the continuous professional development education along with renewal application; and
 - (c) complied with such other guidance regarding such continuous professional development education as may be specified by the Commission from time to time.
 - (3) The application for renewal of registration under the State Register shall be made six months before the expiration of the validity of registration:

Provided that if no renewal application is received before expiration of the validity of registration, the entry of the relevant allied and healthcare professional in the State Register shall be reflected as ‘inactive’ which shall also be automatically updated in the Central Register.
 - (4) No allied and healthcare professional shall be entitled to practice allied and healthcare profession during the period of ‘inactive’ status referred to in sub-regulation (3).
 - (5) An application for renewal of the registration shall be made to the State Council in FORM R-3 as set out in the Schedule II along with the payment of prescribed renewal fee as specified by the State Government.
 - (6) The State Council shall issue an acknowledgement to the applicant upon receipt of the renewal application for the State Register and the prescribed fees.

- (7) The State Council shall grant a Certificate of Renewal after verifying the required compliance.
- (8) The Certificate of Renewal shall be granted by the State Council in the same format of Certificate of Registration which will be valid for a period of five years from the date of renewal in the State Register.
- (9) Upon renewal of the registration, the State Council shall update the details in the State Register and forward the details to the Commission for updating the Central Register and same shall be updated by the Commission.
10. Removal of registration. – (1) The registration of an allied and healthcare professional in the State Register may be removed by the State Council, as specified under sub-section (1) of section 36 of the Act, for a period ranging from two months to two years, or permanently.
- (2) Any allied and healthcare professional, who has been removed from any State Register shall not be allowed to re-register under that State Register or any other State Register without prior approval from the State Council from whose register his or her name has been removed.
11. Issue of duplicate certificate. – A registered allied and healthcare professional may submit an application in FORM R-4 as set out in Schedule II, along with fee as prescribed by the State Government, to the Secretary of the State Council for issuance of duplicate certificate as referred to in section 34 of the Act.

CHAPTER IV

REGISTRATION OF ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONALS IN A STATE OR UNION TERRITORY WITH NON-FUNCTIONAL STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL

12. Registration of allied and healthcare professionals. – (1) Until such time that the functional State Council has been established in a State or Union territory, any allied and healthcare professional, residing in such State or Union territory makes application as referred to in sub-section (1) of section 17 of the Act along with registration fee of rupees two thousand to the Commission. The Commission shall enter his or her name in the Central Register and grant a central certificate of registration upon fulfilling the eligibility criteria specified under sub-regulation (1) of regulation 4.
- (2) Upon establishment of the State Council, the State Register shall automatically update the entries of centrally registered allied and healthcare professional.
- (3) The period of validity of such registered allied and healthcare professional shall be considered from the date of registration with the Central Register.
- (4) The State Council shall, upon being established, retain all the powers of removal and restoration of registrations and such other powers as provided under the Act, and the rules and regulations made thereunder.
13. Rejection of registration with the Central Register. – (1) A registration application to the Central Register referred to in sub-regulation (1) of regulation 12 shall be rejected by the Commission only through a reasoned order, in writing, and after providing the applicant with an opportunity to be heard

and to correct any defect in the application or documents. A copy of the rejection order shall be communicated to the applicant.

(2) Upon rejection of a registration application, the applicant may file a review application to the Commission against the order issued by the Commission, within thirty days of receipt of such order of rejection of the Commission.

(3) Such review application shall be submitted to the Secretary to the Commission, along with the following documents, namely: –

- (a) original application submitted to the Commission;
- (b) copy of rejection order;
- (c) a written application contending the grounds of rejection; and
- (d) copy of proof of payment of a processing fee of rupees five thousand to the Commission.

(4) The Commission shall forward the review application to the relevant Professional Council based on the primary qualification, which shall examine the review application and provide its comments to the Commission within ninety days of receipt of the review application.

(5) Upon receipt of comments from the professional council as referred to in sub-regulation (4), the Commission shall dispose of the review application by passing an appropriate order. The decision of the Commission shall be final and binding.

14. Procedure for renewal of registration with Central Register. – (1) A registered allied and healthcare professional shall submit application in the FORM R-3 as set out in Schedule II along with a processing fee of rupees one thousand for renewal of certificate of registration directly to the Commission upon meeting the criteria specified under sub-regulation (2) of regulation 9.

(2) The Commission shall, after satisfying that the registered allied and healthcare professional has complied with the requirements specified under these regulations, grant central certificate of renewal in the same format of the central certificate of registration and such renewal shall have the same effect as certificate of registration.

(3) The application for renewal of registration referred to in sub-regulation (1) shall be made six months before the expiration of the validity of registration:

Provided that if no renewal application is received before expiration of the validity of registration, the entry of the relevant allied and healthcare professional in the Central Register shall be reflected as 'inactive'.

15. Issue of duplicate certificate by the Commission. – (1) A registered allied and healthcare professional shall submit an application in FORM R-4 as set out in Schedule II along with fee of rupee two thousand and supporting documents, including first information report filed by him to determine that the original certificate of registration has been lost or destroyed, for issuance of duplicate certificate.

(2) Upon receipt of an application, the applicant shall be provided with an acknowledgement and such acknowledgement may be furnished as evidence of registration till such time as the duplicate certificate is issued.

(3) The duplicate certificate of registration shall be issued to the applicant upon satisfaction within thirty days from the receipt of the application.

16. Modification of details in the Central Register. – (1) In the event of any change is required in details of an allied and healthcare professional, registered with the Central Register, such individual shall submit the modified details to the Secretary to the Commission in FORM R-2 as set out in Schedule II, along with relevant documents, and shall also clarify any queries that may be raised by the Commission in this regard.

(2) The Commission shall, upon verifying with the original documents, update the details in the Central Register.

CHAPTER V

INTERIM REGISTRATION FOR INTERNSHIP

17. Interim registration. – (1) No person, who is enrolled in any recognised institution for the purpose of acquiring a recognised qualification shall be allowed to undertake any internship, training, observership or practical training required for the fulfilment of such recognised allied and healthcare qualification, without having obtained an interim registration in the following manner namely: –

- (a) interim registration shall be obtained from the State Council of the State where the recognised institution in which the applicant is enrolled is located;
- (b) any internship, training, observership or practical training that is required for the fulfilment of such a recognised qualification, shall be undertaken only from the practicing facility to which the recognised institution in which the applicant is enrolled is attached;
- (c) interim registration shall have to be obtained from the State Council concerned, by making an application in this regard:

Provided that no fees shall be charged for an application for interim registration.

(2) The process for interim registration shall be initiated by the recognised institution with the State Council.

(3) A foreign qualified allied and healthcare professional, who has obtained a temporary registration for undertaking any clinical training in India shall not be further required to obtain an interim registration under this regulation.

CHAPTER VI

FOREIGN QUALIFIED AND SPONSORED ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONALS

18. Registration of foreign qualified allied and healthcare professional. – (1) A foreign qualified allied and healthcare professional shall be allowed to practice any recognised profession under the Act, only upon obtaining a registration under these regulations and subject to such other conditions specified in this chapter.

(2) A foreign qualified allied and healthcare professional shall be considered eligible to apply for a

registration to practice a recognised profession in India, only if he or she has-

- (a) obtained a foreign allied and healthcare qualification recognised by the Commission; or
- (b) completed the relevant equivalency credential evaluation under sub-section (1) of section 39 of the Act; and
- (c) qualified the relevant exit examination, as may be specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of section 11 of the Act.

(3) Upon registration with the Central Register, a registered foreign qualified allied and healthcare professional shall be treated as a registered allied and healthcare professional for the purpose of the Act, and the rules and regulations made thereunder.

19. Procedure for registration of foreign qualified allied and healthcare professional. – (1) A foreign qualified allied and healthcare professional desirous of being registered shall submit the application in FORM R-5A as set out in Schedule II for respective recognised category of allied and healthcare profession, for registration in the Central Register:

Provided that the foreign qualified allied and healthcare professional shall indicate his or her chosen State of residence in India in such application form.

(2) An application fee of rupees eleven thousand shall be paid to the Commission, along with the application.

(3) The Commission shall after considering the application and satisfying that the applicant is appropriate for grant of registration to the foreign allied and healthcare professional in accordance with the criteria set out in sub-regulation (2) of regulation 18 and thereafter the Commission shall issue a UID number to the applicant.

(4) The UID shall be unique to each allied and healthcare professional and contain the country code (country of residence of the foreign qualified allied and healthcare professional) - professional category number - year of registration and unique number. For example: NZ-08-2025-XXXXXXXXXX along with QR code.

(5) Upon issuance of the UID number, the Commission shall issue a certificate of registration to the foreign qualified allied and healthcare professional in the format of certificate of registration. Thereafter, the details of such foreign qualified allied and healthcare professional will be uploaded in the Central Register.

(6) Upon registration in the Central Register with the relevant details of the foreign qualified allied and healthcare professional, the State Register of the concerned State, which such professional has indicated in his or her application form as his or her State of residence, shall also be automatically updated without payment of any additional fees. Where there is no State Council in a State or Union territory, the concerned State Register shall be updated once it has been set up and the provisions of regulation 12 shall *mutatis mutandis* apply.

20. Temporary registration of foreign qualified allied and healthcare professional. – (1) A foreign qualified allied and healthcare professional shall be considered eligible to apply for a temporary registration, only if he or she has fulfilled the criteria specified under sub-regulation (2) of regulation 18 and

complied with all other relevant immigration related requirements as per the applicable laws.

(2) A temporary registration may be granted to an eligible foreign allied and healthcare professional for a specific period for the following purposes, namely: –

- (a) pursuing any allied and healthcare education at the post-graduate level or specialty level, as recognised under the Act;
- (b) fellowship or certificate programmes or clinical research or clinical training or hands-on workshop or observership for enhancing skill and competence through training or academic programmes conducted in any recognised institution in India;
- (c) expert visit for providing the training in techniques or procedures or workshop required in various areas of the allied and healthcare professions; and
- (d) voluntary service by visiting as an allied and healthcare professional for performing community service.

(3) Any temporary registration granted to a foreign qualified allied and healthcare professional shall be cancelled in case of violation of any conditions specified under sub-regulation (1) or in case of violation of any such other applicable standards of professional conduct and etiquette or the code of ethics by the allied and healthcare professional, as may be specified by the Commission from time to time.

(4) The temporary registration shall be terminated on the date of expiry mentioned on the certificate of temporary registration or on the date of expiry of such permit as obtained by the foreign qualified allied and healthcare professional under applicable immigration related laws of India, whichever is earlier.

(5) A foreign qualified allied and healthcare professional shall make an application for temporary registration along with an application fee of rupees five thousand to the Commission, and the corresponding certificate of temporary registration in FORMAT- A as set out in Schedule II along with UID number shall be granted by the Commission upon satisfaction.

21. Procedure for making application for Temporary Registration. –

(1) For pursuing post-graduate or specialty programmes. –

- (a) A foreign qualified allied and healthcare professional may be allowed to be admitted to any post-graduate or specialty programme only upon completion of such equivalency credential evaluation and exit examination.
- (b) The foreign qualified allied and healthcare professional, who is eligible as per the provisions of clause (a), shall make an application in FORM 5-B as set out in Schedule II for temporary registration.
- (c) An application fee of rupees five thousand shall be paid to the Commission, along with the application.
- (d) The Commission shall consider such application and satisfy that the applicant is appropriate for grant of registration in accordance with the criteria specified under regulation 20 and thereafter grant temporary registration to the foreign qualified allied and healthcare professional for the duration of the relevant post-graduate or specialty programme as specified by the recognised institution in which he or she is going to be admitted.
- (e) No admission to any recognised institution for any post-graduate or specialty programme shall be granted to any foreign qualified allied and healthcare professional without having obtained a temporary registration.

(2) Fellowship or clinical research or clinical training or observership or hands on workshop or voluntary service. —

- (a) A foreign qualified allied and healthcare professional may be allowed to do fellowship or certificate programmes or clinical research or clinical training or observership or hands on workshop or voluntary service for enhancing skill and competence through training or academic programmes under the ambit of a recognised institution, only upon completion of such equivalency credential evaluation.
- (b) The foreign qualified allied and healthcare professional, who is eligible as per the provisions of clause (a) shall make application in FORM R-5B as set out in Schedule II for temporary registration.
- (c) An application fee of rupees five thousand shall be paid to the Commission, along with the application.
- (d) The Commission shall consider the application and satisfy the contents of the application and thereafter grant temporary registration to the foreign qualified allied and healthcare professional for a maximum period of twelve months and shall be limited to participation in the specific programme of the specified recognised institution.

22. Grant of temporary registration to sponsored foreign allied and healthcare professional. — (1) A foreign national who is enrolled in their country as an allied and healthcare professional or such similar professional in accordance with the applicable laws of that country and who has a sponsor in India, shall apply in FORM R-5C as set out in Schedule II for temporary registration in the manner specified under regulations 20 and 21.

(2) The procedure for making an application for temporary registration under regulation 21 shall apply *mutatis mutandis* to sponsored foreign allied and healthcare professionals:

Provided that —

- (a) the rights of the sponsored foreign allied and healthcare professionals in India will be subject to the provisions of law of the land;
- (b) the entity or institution inviting a sponsored foreign allied and healthcare professional into India or admitting them into a post-graduate course or offering them any fellowship or certificate programmes or clinical research or clinical training or observership or hands on workshop or voluntary service under regulation 21 shall be responsible for the conduct of such sponsored foreign allied and healthcare professionals;
- (c) the temporary registration granted to a sponsored foreign allied and healthcare professional may be cancelled, if he or she breaches any provision of the Act, rules or regulations or is found to be involved in activities outside of the recognised categories of the allied and healthcare profession;
- (d) the foreign national seeking temporary registration shall possess a valid visa as per the applicable laws of India; and
- (e) the temporary registration shall be co-terminus with the Indian visa held by the foreign national, whichever expires earlier.

23. Issuance of good standing certificate. — (1) Any registered allied and healthcare professional, who is required to obtain a good standing certificate for pursuing any foreign education or carrying out any profession or participating in student exchange programmes outside India, shall make an application along with a processing fee of rupees one thousand to the relevant State Council with which he or she is registered:

Provided that in case of a Union territory or a State where no State Council is established, the said application for a good standing certificate shall be made to the Secretary to the Commission along with such processing fee.

(2) The State Council shall periodically intimate the Commission regarding the list of all such good standing certificates that have been issued.

CHAPTER VII

MAINTENANCE OF CENTRAL REGISTER AND STATE REGISTER

24. Maintenance of the Central Register and State Register. – The Central Register and the State Register shall be made available to the public by placing them on the websites of the Commission and the respective State Councils as the case may be, and shall display the information in respect of registered allied and healthcare professional as per Schedule III.
25. Mode of application and payment. – (1) The Commission and the State Councils shall receive applications from eligible person for registration including temporary registration through an online portal, which is available on the official website of the Commission.
- (2) All payments to be made under these regulations shall be made online through the said portal.
26. Miscellaneous. – Any person, who offers services in any of the recognised categories on or before the commencement of the Act and is not fulfilling criteria of regular registration, shall be allowed to register under provisional registration regulations upon fulfilling the required compliance as per relevant regulations issued under section 38 of the Act.

SCHEDULE - I

[See regulation 4(1)(a)]

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 1

Recognised Category Name: **Medical Laboratory and Life Sciences**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Medical Laboratory Technologist (ISCO Code-3212)	Bachelor of Medical Laboratory Science (B.MLS)	Four years	Regular	-
	Bachelor of Medical Laboratory Technology	Four years	Regular	-
	Bachelor of Medical Laboratory Science/ Technology	Three years	Regular	-
	B.Sc. in Medical Laboratory Science/Technology	Three years	Regular	-
	Bachelor of Science Medical Laboratory Science/Technology	Three years and six months	Regular	-
	Bachelor of Medical Laboratory Science/Technology	Three years and six months	Regular	-
	Diploma in Medical Laboratory Technology	Two years and at least 2000 hours	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
Biotechnologist (ISCO Code-2131)	M. Sc. (Biotechnology) (With minimum one year experience in health care)	Two years	Regular	-
	Ph. D Biotechnology (Related to Medical Biochemistry/Medical Microbiology/Biomedical Science/Pathology/Cancer Genetics/Medical Genetics)	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Biochemist (non-clinical) (ISCO Code-2131)	M.Sc. (Biochemistry)	Two years	Regular	-
	Masters of Medical Laboratory Sciences (M.MLS) (Medical Biochemistry)	Two years	Regular	-

	Ph.D Biochemistry/ Biomedical Science/Cancer Genetics/Medical Genetics	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Cell Geneticist (ISCO Code-2131)	M.Sc. (Genetics/Life Sciences/Biomedical Sciences/Zoology)	Two years	Regular	-
	Ph.D Cytogenetics	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
	Ph.D Biomedical Science (Related to Medical Genetics/Human Genetics/Cancer Genetics)	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Microbiologist (non-clinical) (ISCO Code-2131)	M. Sc. (Microbiology)	Two years	Regular	-
	Master of Medical Laboratory Science (M.MLS) (Microbiology)	Two years	Regular	-
	Ph.D Microbiology (Related to Medical Microbiology)	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Molecular Biologist (non-clinical) (ISCO Code-2131)	M.Sc. (Genetics/Life Sciences/Biomedical Sciences/ Zoology)	Two years	Regular	-
	Ph.D Molecular Biology (Related to Medical Biochemistry/Medical Microbiology/Biomedical Science/Biomedical Science/Pathology/Cancer Genetics/Medical Genetics)	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Molecular Genetics (ISCO Code-2131)	M.Sc. (Genetics/Life Sciences/ Biomedical Science/Zoology)	Two years	Regular	-
	Ph. D Molecular Genetics (Related to Medical Biochemistry/Medical Microbiology/Pathology/Cancer Genetics/Medical Genetics)	As per UGC Norms	As per UGC Norms	-
Cytotechnologist	Bachelor of Medical Laboratory Sciences (B.MLS)	Four years	Regular	-
	Masters of Medical Laboratory Sciences (M.MLS) (Histology &	Two years	Regular	-

	Cytopathology)			
Forensic Science Technologist	M.Sc. (Forensic Science Technology)	Two years	Regular	-
Histotechnologist	Bachelor of Medical Laboratory Sciences (B.MLS)	Four years	Regular	-
	Masters of Medical Laboratory Sciences (M.MLS) (Histology & Cytopathology)	Two years	Regular	-
Hemato Technologist	Bachelor of Medical Laboratory Sciences (B.MLS)	Four years	Regular	-
	Masters of Medical Laboratory Sciences (M.MLS) (Hematology and Transfusion Medicine)	Two years	Regular	-

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 2

Recognised Category Name: **Trauma Burn Care and Surgical/Anaesthesia Related Technology**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Advance Care paramedic (ISCO Code - 2240)	Bachelor of Emergency Medical Technology (B.EMT) (Paramedic)	Four years	Regular	-
	Degree in Trauma Care	Three years	Regular	-
Burn Care Technologist (ISCO Code - 2240)	Post Graduate Program in Emergency Care (PGPEC)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	-
	Advanced Post Graduate Diploma in Emergency Care (APGDEC)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by
Emergency Medical Technologist				

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
(Paramedic) (ISCO Code - 3258)	Advanced Post Graduate Diploma in Emergency Care/Emergency Medical Care	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	B. Sc. in Emergency Medical Services	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Trauma Care Management	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Emergency Care Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Emergency and Trauma Care Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Accident and Emergency Care Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Emergency Medicine and Critical Care Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Emergency and Critical Care	Minimum Three years	Regular	-
Anaesthesia Assistants and Technologists (ISCO Code - 3259) Operation Theatre (OT) Technologists (ISCO Code - 3259)	Diploma of Anaesthesia and Operation Theatre Technology (D. AOTT)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Bachelor of Anaesthesia and Operation Theatre Technology (B. AOTT)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Anaesthesia Technology) /B.Sc. AHS (AT)	Three years and six months	Regular	-
	B.Sc. (Operation Theatre and Anaesthesia Technology)/B Sc. (AHS) (OTAT)	Three years and six months	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.Sc. (Medical technology) (OT & Anaesthesia)	Three years and six months	Regular	-
	B.Sc. (Operation Theatre Technology)/B.Sc. AHS (OTT)	Three years and six months	Regular	-
Endoscopy and Laparoscopy Technologists (ISCO Code - 3259)	B.Sc. in Operation Theatre Technology	Three years	Regular	-
	Diploma in Endoscopic Technology.	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	B.Sc. in Endoscopy Technology	Three years	Regular	-
	B.Sc. in Endoscopy technology & Laparoscopic Technology	Three years	Regular	-

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 3

Recognised Category Name: **Physiotherapy Professional**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Physiotherapy (ISCO Code - 2264)	Bachelor of Physiotherapy (B.PT)	Five years	Regular	-
	Diploma in Physiotherapy (DPT till 1994 admission year)	Two years and six months (two years + six months internship) and at least 2000 hours	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses

				by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Bachelor of Science Hons. Physiotherapy (PT) (till 1995 admission year)	Three years	Regular	UGC recognised university
	Bachelor of Science (Physiotherapy)	Three years and six months (three years + six months internship)	Regular	UGC recognised university
	Bachelor of Physiotherapy (B.PT)	Three years and six months (three years+ six months internship)	Regular	UGC recognised university
	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	Four years and six months (four years+ six months internship)	Regular	UGC recognised university

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: **4**

Recognised Category Name: **Nutrition Science Professionals**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Dietician (including Clinical Dietician, Food Service Dietician) (ISCO Code -2265)	Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)	Four years (including six months internship/Clinical Training)	Regular	-
	B.Sc. (Honours) (Food Nutrition and Dietetics)	Four years	Regular	-
	B.Sc. & M.Sc. (Integrated programme under NEP Food Nutrition and Dietetics)	Five years	Regular	-
Nutritionist (including Public Health Nutritionist, Sports Nutritionist)	B.Sc. (Home Science)	Minimum Three years	Regular	Graduation degree with Post-graduation degree as enlisted are required for registration.
	*B.Sc. (Home Economics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Home Economics with Food and Nutrition as specialization)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition, Dietetics & Food	Minimum Three	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
(ISCO Code -2265)	Service Management)	years		
	B.Sc. (Clinical Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Clinical Nutrition & Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Sports, Fitness and Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Exercise Physiology and Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Home Science- Nutrition, Food Service Management and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Food Science Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutritional Sciences and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition, Food Service Management and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Clinical nutrition, Dietetics and Food Science)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Hons) (Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Hons) (Food and Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	M.Sc. (Food and Nutrition)/ M.Sc. (Specialized Dietetics)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Exercise Science and Sports Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Dietetics & Food Service Management)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Clinical Nutrition and Dietetics)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Applied Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Clinical Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Nutrition & Dietetics)	Two years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	M.Sc. (Sports Nutrition and Exercise Physiology)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Applied Sports Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Food Science and Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Dietetics and Applied Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Food Service Management and Dietetics)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Sports Nutrition)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Home Science (Food and Nutrition))	Two years	Regular	
	M.Sc. (Home Science (Food Service Management and Dietetics))	Two years	Regular	
	M.Sc. (Food Nutrition & Dietetics)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Food and Nutrition Sciences)	Two years	Regular	
	M.Sc. (Nutrition)	Two years	Regular	
	B.Sc. (Food Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	Graduation degree with Post-graduation diploma as enlisted are required for registration. Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	B.Sc. (Home Science)	Minimum Three years	Regular	
	*B.Sc. (Home Economics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Home Science)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Home Economics with Food and Nutrition as specialization)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition, Dietetics & Food Service Management)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Clinical Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Clinical Nutrition & Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Sports, Fitness and Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Exercise Physiology and	Minimum Three	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Nutrition)	years		
	B.Sc. (Home Science- Nutrition, Food Service Management and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Food Science Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutritional Sciences and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Nutrition, Food Service Management and Dietetics)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Clinical nutrition, Dietetics and Food Science)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Hons) (Nutrition and Dietetic)	Minimum Three years	Regular	
	B.Sc. (Hons) (Food and Nutrition)	Minimum Three years	Regular	
	Post Graduate Diploma in Clinical Nutrition and Dietetics	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Sports Nutrition	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Dietetics	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Nutrition & Dietetics	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Dietetics & Food Service Management	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Public Health Nutrition	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Exercise Science & Sports Nutrition	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Fitness, Health and Nutrition	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Dietetics and Public Health Nutrition	One year	Regular	
	Post Graduate Diploma in Dietetics and Applied Nutrition	One year	Regular	

1. *University Grants Commission (UGC), D.O. Letter No. 1-151/2015 (CPP-II) dated 17 August 2015, clarifying that two-year undergraduate degrees completed prior to 6 June 1986 shall be treated as equivalent to three-year degree program and requires no bridge course.

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 5

Recognised Category Name: **Ophthalmic Sciences Professional**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Optometrist (ISCO Code - 2267)	Bachelor of Optometry (B.Optom.)	Five years (four years + one year internship)	Regular	-
	Baccalaureate in Optometry (B.Optom.)	Minimum Three years	Regular	-
	B.S. in Optometry, BS Optometry	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in Optometry, B.Sc (Optometry)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. Optometry Technology (B.Sc. OT)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of Optometry (B.Optom)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Optometry)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of Clinical Optometry	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Ophthalmic Techniques)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Hons) (Ophthalmic Techniques)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Ophthalmic Dispensing and Vision Science) B.Sc. (ODVS)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in Optometry and Ophthalmology Technology (BOOT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in PMT (Optometry Tech), BPMT (Optometry)	Minimum Three years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.Sc. (Ophthalmic Dispensing)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor in/of Optometry and Ophthalmic Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Ophthalmic Assistant)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of Science Hon. Ophthalmic Technology (BSCHOT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Ophthalmic Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	Master of Optometry (M. Optom) (Integrated program)	Five years	Regular	-
Ophthalmic Assistant (ISCO Code - 3256)	Diploma in Ophthalmic Techniques (DOT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Optometry (D. Opt)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Refraction and Optometry (D.R.Opt)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Orthoptics	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Ophthalmic Assistant, (DOA)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Ophthalmic Technician	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Optics & Refraction	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Optometry Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Ophthalmic Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Mid-Level Ophthalmic Personnel, (MLOP)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma of Optometry and Ophthalmic Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	(DOOT)			
	Diploma in Optometry & Refraction	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Ocular Science (1981-2007)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Refraction and optometry	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Para Medical Ophthalmic Assistant	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
Vision Technician (ISCO Code-3256)	Diploma in Vision Technician	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 6

Recognised Category Name: **Occupational Therapist**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Occupational Therapist (ISCO Code-2269)	Bachelor of Occupational Therapy (B. OT)	Five years (four years + one year internship)	Regular	-
	Bachelor of Occupational Therapy (BOT)	Four years and six months	Regular	-
	Bachelor of Occupational Therapy (BOT)	Three years and six months	Regular	-
	B. Sc. in Occupational Therapy	Three years and six months	Regular	-
	B.Sc. in Occupational	Two years and six	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Therapy	months		
	B.Sc. (Hons) in Occupational Therapy	Four years and six months	Regular	-
	Bachelor of Occupational Therapy (BOTH)	Four years and six months	Regular	-
	Diploma in Occupational Therapy	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Occupational Therapy	Three years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 7

Recognised Category Name: **COMMUNITY CARE, BEHAVIOURAL HEALTH SCIENCES AND OTHER PROFESSIONALS**

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Environment Protection Officer (ISCO Code-2133)					To be updated
Ecologist (ISCO Code-2133)					To be updated
Community Health promoters (ISCO Code-3253)					To be updated
Occupational Health and Safety Officer					To be updated

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
(Inspector) (ISCO Code-3257)					
Social workers including Clinical Social Worker, Psychiatric Social Worker, Medical Social Worker (ISCO Code-2635)	Bachelor of Medical and Psychiatric Social Work (B. MPSW)	—	Four years	Regular	
	Bachelor's in social work (BSW)	Two years	Three to four years	Regular	Eligibility Criteria up to Academic Year 2025–2026 (i) Candidates who have successfully completed programs of a minimum duration of three to four years of UG in Social Work and experience in Health setting as defined shall be eligible for regular registration under the Medical Social Work domain. or (ii) Candidates who have successfully completed programs of a
	Bachelor of Arts in Social Work (B.A. Social Work)	Two years	Three to four years	Regular	
	Master of Social Work (MSW)	Two years	Two years	Regular	
	Master of Arts in Social Work (M.A. Social Work)	Two years	Two years	Regular	
	Master of Social Work (M SW) (Medical and Psychiatric Social Work)	One year	Two years	Regular	
	M.A. Social Work (Counselling)	One year	Two years	Regular	
	M.A. Social Work (Mental Health)	One year	Two years	Regular	
	M.A. Social Work (Public Health)	One year	Two years	Regular	
	Master of Social Work (MSW) (Clinical and Community Practice)	One year	Two years	Regular	
	Master of Social Work (MSW)	One year	Two years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	(Clinical Social Work)				minimum duration of two years of PG in Social Work, bearing the qualification titles specified and experience in Health setting as defined shall be eligible for regular registration under the Medical Social Work domain.
	MPhil in Social Work- One year	Two years	Two years	Regular	
	MPhil in Clinical Social Work (2-year hospital based)	None	Two years	Regular	
	PhD in Social Work	One year	Three to five years Four to six years	Regular (Full time) Part time	
	MPhil in Clinical Social Work	-	Two years	Regular	Candidates who have successfully completed programs of a minimum duration of two years of Master of Philosophy (MPhil) in Clinical Social Work, bearing the qualification titles specified shall be eligible for regular registration under the clinical social work.
	MPhil in Psychiatric Social Work	-	Two years	Regular	Candidates who have successfully

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
					completed program of a minimum duration of two years of Master of Philosophy (MPhil) in Psychiatric Social Work (As per Mental Healthcare Act 2017), bearing the qualification title specified shall be eligible for regular registration under the Psychiatric Social Work.
Psychologist (Except Clinical Psychologist covered under RCI for PWD) (ISCO Code-2634)	Bachelor of Psychology (B.Psy)	-	Four years	Regular	
	Undergraduate degrees (from recognised state/central/private universities) Bachelor's of Arts (B.A.)/ Bachelor's of Science (B.Sc.) in:				Candidates who have successfully completed programs of a minimum duration of three to four years of Under Graduation (UG) in Psychology/Applied Psychology and two Years of Post-Graduation (PG) in Psychology/A
	Psychology (Hons./Hons. With Research)	Three years	Three to four years	Regular	
	Applied Psychology (Hons./Hons. With Research)	Three years	Three to four years	Regular	
	Bachelor's in Applied Psychology and Behavioural Health (B.Psy)	Three years	Three to four years	Regular	
	B.A .Triple Majors with Psychology	Three years	Three to four years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.A. Double Majors with Psychology	Three years	Three to four years	Regular	Applied Psychology courses, bearing the qualification titles specified and experience in health settings as defined shall be eligible for regular registration under the Psychology Professional domain.
	B.Sc. (Behavioural Health Sciences)(Hons.)	Three years	Three to four years	Regular	
	Post-graduate degrees (from recognised state/ central/ private universities) Master of Arts/ Science (M.A./M.Sc.) in:				
	Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Applied Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Clinical Psychology (not registered with RCI)	Two years	Two years	Regular	
	Counselling Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Psychological Counselling	Two years	Two years	Regular	
	Forensic Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Industrial Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Organizational Psychology	Two years	Two years	Regular	
	M.A. Psychology (Psychosocial Clinical Studies)	Two years	Two years	Regular	
	Neuropsychology	Two years	Two years	Regular	
	M.Sc. of Science in Neuropsychology	Two years	Two years	Regular	
	Sports Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Health Psychology	Two years	Two years	Regular	
	M.A. Psychology (Lifespan	Two years	Two years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Counselling)				
	School Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Cognitive Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Behavioural Science	Two years	Two years	Regular	
	Social Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Developmental Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Child Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Community Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Forensics & Investigative Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Cultural Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Applied Psychology (Clinical and Counselling Practice)	Two years	Two years	Regular	
	Psychological Research	Two years	Two years	Regular	
	Clinical Psycho-oncology	Two years	Two years	Regular	
	Master's in Liberal Studies (MLS) in Psychology	Two years	Two years	Regular	
	M.Sc. (Psychology (Health & Wellbeing))	Two years	Two years	Regular	
	Career Counselling	Two years	Two years	Regular	
	Career and Developmental	Two years	Two years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Counselling				
	HRDM with Business and Organizational Psychology;	Two years	Two years	Regular	
	Educational Psychology	Two years	Two years	Regular	
	Bachelor of Psychology (B.Psych)		Four years	Regular	
	Master of Psychology (M.Psych)		Two years	Regular	
	Doctor of Psychology/ Ph.D. in Applied Psychology i.e. Doctor of Philosophy			Regular	
	Advanced Diploma/ Post-graduate Diploma in Psychology approved for consideration for regular registration, along with a Post-Graduation in Psychology				Candidates who have successfully completed programs of a minimum duration of one to two years in Advance Diploma/ Post-graduate Diploma in Psychology with experience in health settings as defined shall be eligible for regular
	Advanced Diploma/ Post-graduate Diploma in Psychology	One year	One to two years	Regular	
	Post Graduate Diploma in Psychotherapy and Counselling with Children and Adolescents	One year	One to two years	Regular	
	Post Graduate Diploma in Counseling Psychology	One year	One to two years	Regular	
	Post Graduate Diploma / Executive Diploma in Counselling	One year	One to two years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Psychology				registration under the Psychology Professional domain.
	PG Diploma in Guidance, Counselling and Psychotherapy (Guidance + Counselling + Psychotherapy)	One year	One to two years	Regular	
	Post Graduate Diploma in Psychotherapy, Counselling and Guidance / Counselling & Psychotherapy & Guidance	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma / Diploma in Child Psychology / Child Counselling / Child and School Psychology (Regular)	One year	One to two years	Regular	
	Post-Graduate Diploma in Psychotherapy and Counselling with Children and Adolescents	One year	One to two years	Regular	
	Post-graduate M.A. Diploma in Professional Counselling and Psychotherapy	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Guidance, Counselling and Psychotherapy	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Psychotherapy and Counselling	One year	One to two years	Regular	
	Post Graduate Diploma in	One year	One to two	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Guidance & Counselling		years		
	Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma In Counselling And Family Therapy	One year	One to two years	Regular	
	Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Psycho-oncology	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Child Psychology	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Counselling Psychology	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Counselling & Psychotherapy	One year	One to two years	Regular	
	Diploma in School Counselling	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Life Skills and Counselling	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Counselling & Guidance	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Family Therapy	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Child Psychology	One year	One to two years	Regular	
	Advanced Diploma in Counselling Psychology	One year	One to two years	Regular	
	Advanced Diploma in Clinical Forensic	One year	One to two	Regular	

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Psychology		years		
	PG Diploma in Counselling Skills & Psychology	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Psychotherapy	One year	One to two years	Regular	
	PG Diploma in Education and Career counselling	One year	One to two years	Regular	
	Advanced diploma: nuero-criminology, clinical criminology and clinical forensic psychology	One year	One to two years	Regular	
	Doctor of Philosophy (PhD) degrees from recognised state/ central/ private universities				Candidates who have a PhD in Psychology /Applied Psychology or related fields of Applied Psychology are eligible for registration with the Council, provided they have a Master's in Psychology/ Applied Psychology from recognised state/ central/ private universities of India.
	Psychology	-	Three to Five years Four to six years	Regular (Full time) Part time	
	Applied Psychology	-	Three to Five years Four to six years	Regular (Full time) Part time	
	Clinical Neuropsychology	-	Three to Five years Four to six years	Regular (Full time) Part time	
Behavioural Analyst					To be updated

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
(ISCO Code-2635)					
Integrated Behaviour Health Counsellor (ISCO Code-2635)					To be updated
Health Educator and Counsellors including Disease Counsellors, Diabetes Educators, Lactation Consultants (ISCO Code-2635)					To be updated
Human Immunodeficiency Virus (HIV) Counsellors or Family Planning Counsellors (ISCO Code-3259)					To be updated
Mental Health Support Workers (ISCO Code-3259)					To be updated
Podiatrist (ISCO Code-2269)					To be updated
Palliative Care Professionals (A					To be updated

Profession	Recognised qualification	Minimum Experience in Health Settings	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Multidisciplinary Work) (ISCO Code-3259)					
Movement Therapist (including Art, Dance, and Movement Therapist or Recreational Therapist) (ISCO Code-2269)					To be updated
Acupuncture (ISCO Code-2230,3230)					To be updated

Note:

- Professionals (Clinical Psychologist) eligible to register under Rehabilitation Council of India (RCI) shall not be considered for registration under the National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: 8

Recognised Category Name: **Medical Radiology Imaging and Therapeutic Technology**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Medical Physicist (ISCO Code-2111) & Dosimetrist (ISCO Code- 3211)	Master of Science in Medical Physics M.Sc. (Medical Physics)	Three Years	Regular	-
	Post MSc Diploma in Radiological / Medical Physics or Advance Master Degree in Radiological / Medical Physics	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Medical and Radiological Physics)	Two years	Regular	-
	M. Sc. in Medical	Two years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Physics			
	M.Sc. (Physics) plus Post M. Sc Diploma Course in Radiological/Medical Physics	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Radiological Physics)	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Radiation Physics)	Two years	Regular	-
	M.Sc. (Medical Radiation Physics)	Two years	Regular	-
	M.Sc. (Medical and Radiological Physics)	Two years	Regular	-
	M.Sc. (Medical Physics)	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Physics) Plus Post M. Sc in Diploma in Medical Physics	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Physics) Plus PG Diploma in Medical Radiological Sciences	Two years	Regular	-
	B. Sc. (Physics) Plus Diploma in Radiological Physics till 1993.	Two years	Regular	-
Nuclear Medicine Technologist (ISCO Code-3211)	Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology B.Sc. (NMT)	Four Years	Regular	-
	B. Sc. (Nuclear Medicine Technology)	Minimum Three years	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	B.Sc. with Diploma in Medical Radiology Imaging Technology	Two years	Regular	
	Diploma in Fusion Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Nuclear Medicine Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Master of Technology (NM)	Two years	Regular	
	Diploma in Medical Radiology Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Post Graduate Diploma in Nuclear Medicine Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	-
	M. Sc. (Nuclear Medicine and Molecular Imaging Technology)	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Nuclear Medicine Technology and Hospital Radio Pharmacy)	Two years	Regular	-
	Diploma in Paramedical Technology in Nuclear Medicine (DNMT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Post Graduation Diploma in Fusion Imaging Technology (PGDFIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	B. Sc. plus Diploma in Nuclear Medicine Technology (DNMT)	Two years	Regular	-
	B. Sc. Plus Post Graduation Diploma in Nuclear Medicine Technology (PGDNMT)	Two years	Regular	-
	BSc. (Nuclear Medicine)	Minimum Three years	Regular	-
Radiology and Imaging Technologist [Diagnostic	Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology (B. MRIT)	Four years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Medical Radiographer, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography (CT), Mammographer, Diagnostic Medical Sonographers] (ISCO Code-3211)	B.Sc. (Radio diagnosis and Imaging Technology) (B.Sc. RD & I Tech)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelors in Medical Radiation Technology B.Sc. (MRT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Medical Radiology and Diagnostic Imaging) B.Sc. (MR & DI)	Three years	Regular	-
	B.Sc. (Radio diagnosis & Radiotherapy) B.Sc. (RD&RT)	Three years	Regular	-
	B.Sc. (Radiography)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Radiological Imaging Technology) (BRIT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Medical Radio Imaging Technology) (BMRIT)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of Science in Medical Imaging Technology (BMIT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in Medical Radiology & Imaging Technology (BMRIT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Radio Imaging Technology) (BRIT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Hons) Radiology & Imaging sciences Technology BMRIT (Hons.)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Radio Imaging Technology)	Minimum Three years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	(BRIT)			
	B.Sc. (Hons.) (Radiology & Imaging sciences Technology) (BMRIT (Hons.))	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Radiology & Imaging Technology) (B.Sc. RIT)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor in Medical Radiology and Imaging Technology (BMRIT)	Four years (Three years + one year internship)	Regular	-
	B.Sc. (Medical Imaging Technology & Radiotherapy Technology) (BMIRT)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of science in Radiology & Imaging Technology (BRIT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Hons.) (Medical Imaging Technology) BMIT(Hons.)	Four years	Regular	-
	Integrated B.Sc. (Hons. With research) Integrated B.Sc. (Hons. With research)	Four years	Regular	-
	BSc. (Medical Radiography & Imaging Technology) B.Sc. (MRIT)	Four years	Regular	-
	BSc. (Hons) (Medical Technology in Radiography) B.Sc. (Hons.) (MRIT)	Four years including internship	Regular	-
	B.Sc. (Radiology & Imaging Sciences Technology)	Four years (Three years course + one	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.Sc. (RIST)	year internship)		
	B.Sc. (Radiology & Imaging Sciences Technology) B.Sc. (RIST)	Four years (Three years course + one year internship)	Regular	-
	B.Sc. (Medical Imaging Technology) (B.Sc. MIT)	Four years (Three years course + one year internship)	Regular	-
	B.Sc. (Radiography Imaging Technology) (B.Sc. RIT)	Four years (Three years course + one year internship)	Regular	-
	B.Sc. (Radiography and Medical Imaging Technology) (B.Sc. RMIT)	Four years (Three years course + one year internship)	Regular	-
	B.Sc. (Medical Technology (MT) (Radiodiagnosis)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Hons) (Medical Technology in Radiography) (MTR)	Four years	Regular	-
	Bachelor in Medical Radiology & Imaging Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Radiography & Imaging Technology	Minimum Three years	Regular	-
	B. Sc. in Radiography & Imaging Technology	Minimum Three years	Regular	-
	Advance Diploma in Radiography & Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	B. Sc. in Radiology &	Minimum	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Imaging Technology	Three years		
	Diploma in Medical Radiology & Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	M.Sc. (Radiology Imaging Science Technology) (Integrated)	Five years	Regular	-
	Diploma in Radiography and Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Radiology & Imaging Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in X ray Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Bachelor of Science in Imaging Technology	Three years	Regular	In addition to the above the following minimum three years Bachelor Degree courses pertaining to Medical Radiology & Imaging Technology are recommended for regular registration.
	B. Sc. in Medical Imaging Technology	Minimum Three years	Regular	
	B. Sc. in Paramedical Technology (BPMT) (Radiography)	Minimum Three years	Regular	
	B. Sc. (Medical Radiological Technological Technology) (BMRT) (Both Diagnosis & Therapy)	Minimum Three years	Regular	
	B. Sc. (Radio Imaging Technology) (BRIT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Radio Imaging Technology	Minimum Three years	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	(BRIT)			
	B. Sc. in Radiological Imaging Techniques (BRIT)	Minimum Three years	Regular	
	B Sc. (Radiology & Imaging Technology) (BRIT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Paramedical Technology (BPMT) (Radiology)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Radiation Technology (BRT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Science in Advanced Imaging Technology (BSAIT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Science in Medical Imaging Technology (B.Sc. MIT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Science in Radiology (BSR)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor's in Radiology and Medical Imaging Technology (B. Sc. RMIT)	Minimum Three years	Regular	
	Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology (BMRIT)	Three years and six months including one year internship	Regular	
	Diploma in Radiological Diagnosis Technology (DRDT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall
	Diploma in Radiotherapy Technology (DRTT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
				not be considered.
	Diploma in Certified Radiological Assistant (DCRA) (for both Radiography & Radiotherapy)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Advance Medical Imaging Technology (DAMIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiologic Technology (DRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiodiagnosis and Radiotherapy Technology (DRRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Advance Diploma in Medical Imaging Technology (ADMIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Advance Diploma in X-ray Radiography (ADXR)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Medical Imaging Technician (DMIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Advance Diploma in X-ray Radiography & Ultrasonography (ADXRU)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Medical Imaging Technician (DMIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Diploma in Medical Imaging Technology (DMIT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Medical Lab Technology (DMLT) (Radiology)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Medical Radiation Technology (DMRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in MRI Technician (DMT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Medical Radiation Technology (DMRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiation Technology (DRT)	Two/Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiodiagnosis and Radiotherapy Techniques (DRRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiodiagnosis Technology (DRDT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiographic Assistant (DRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiography (DR)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Technology (Radiography)	Two years (minimum	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	(DTR)	2000 hours)		
	Post Graduation Diploma in Medical Radiological Sciences (PGDMRS)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Advance Diploma in X ray, Radiography and Ultra-sonography	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
Radiotherapy Technologist (ISCO Code-3211)	Bachelor of Radiation Therapy Technology (B.RTT)	Four years	Regular	-
	Diploma of Radiotherapy Technology (D. RT)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Radiodiagnosis and Radiotherapy Technology (DRRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Bachelor of Radiation Technology (BRT)	Three years	Regular	-
	B. Sc. (Radiation Sciences) B. Sc. (RS)	Three years	Regular	-
	Bachelor in Radiation Technology (BRT)	Three years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Diploma in Radiodiagnosis and Radiotherapy Techniques (DRRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Advance Diploma in Radiotherapy Technology (ADRT)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiotherapy Technology (DRTT)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Radiation Technology (DRT)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	
	Master of Radiation Therapy Technology (MRTT)	Five years	Regular	-
	Bachelor in Radiotherapy Technology (BRTT)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Radiotherapy Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	Master of Radiation Therapy (MRT) (Integrated)	Five years	Regular	-

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare ProfessionalsRecognised Category No: **9**Recognised Category Name: **Medical Technologist and Physician Associates**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Biomedical Engineer (ISCO Code- 2149)	Bachelor's Degree in Bioelectronics Engineering	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Biomedical Engineering	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Biomedical and Robotic Engineering	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Biomedical instrumentation	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Computer Science and Medical Engineering	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Electronics and Communication Engineering (Bio-Medical Engineering)	Four years	Regular	-
	Bachelor's Degree in Medical Electronics Engineering	Four years	Regular	-
	Bachelors in Bioengineering	Four years	Regular	-
	Masters Degree in Bioengineering (Integrated)	Five years	Regular	-
	Masters Degree in Bio Electronics	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Biomedical Electronics	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Biomedical Engineering	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Biomedical instrumentation	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Biomedical	Two years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	Instrumentation and Signal Processing			
	Masters Degree in Biomedical Signal Processing and instrumentation	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Medical Electronics	Two years	Regular	-
	Masters Degree in Clinical Engineering	Two years	Regular	-
	B. Sc. (Honours) (Specialisation Biomedical Instrumentation)	Four years	Regular	-
	B. Sc. (Honours) (Specialisation Medical Instrumentation)	Four years	Regular	-
	M. Sc. (Specialisation in Biomedical Instrumentation)	Two years	Regular	-
	M. Sc. (Specialisation in Medical Instrumentation)	Two years	Regular	-
Medical Equipment Technologist (ISCO Code- 3211)	Diploma in Engineering (Specialisation in Biomedical Instrumentation)	Two or Three years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Engineering (Specialisation in Medical Instrumentation)	Two or Three years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Diploma in Engineering (Specialisation in Medical Electronics)	Two or Three years (minimum 2000 hours)	Regular	
Physician Associates	Bachelor of Physician Associates	Four years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
(ISCO Code- 3256)	(B.PA)			
	Bachelor of Physician Assistant	Three years	Regular	-
	Post graduate Diploma in Physician Assistantship	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Advanced PG Diploma in Physician Assistant	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	PG Diploma Physician Assistant	Three years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Physician Assistant-Two Year PG Diploma	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	B.Sc. (Physician Assistant or Associate) and Bachelor of Physician Assistant or Associate	Four years	Regular	
	Bachelor of Physician Assistant (upto admission year 2021)	Three years	Regular	
	Post graduate Diploma in Physician Assistantship (upto admission year 1993)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Advanced PG Diploma in Physician Assistant (2 years, upto admission	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	year 2020)			
	PG Diploma Physician Assistant (upto admission year 2010)	Three years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Physician Assistant-Two Year PG Diploma (upto admission year 2017)	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
Cardiovascular Technologists (ISCO Code- 3259)	B.Sc. (Cardiovascular Technology) (CVT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Cardiac Care Technology) (CCT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Hons.) (Cardiovascular Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Cardiac Care Technology and Cardiovascular Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	Bachelor of Cardiovascular Technology (BCVT)	Minimum Three years	Regular	-
Perfusionist (ISCO Code- 3259)	B.Sc. (Perfusion Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (AHS Cardiovascular Perfusion Technology)	Minimum Three years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.Sc. (Cardio Perfusion Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Cardiac Perfusion Technology)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in Cardiac Pulmonary & Perfusion care Technology	Minimum Three years	Regular	-
Respiratory Technologist (ISCO Code- 3259)	Bachelor of Respiratory Technology	Three year + one year internship	Regular	-
	Diploma in Respiratory Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
Electrocardiogram (ECG) Technologist or Echocardiogram (ECHO) Technologist (ISCO Code- 3259)				To be updated

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Electroencephalogram (EEG) or Electroneurodiagnostic (END) or Electromyography (EMG) Technologists or Neuro Lab Technologists or Sleep Lab Technologists (ISCO Code- 3259)				To be updated
Dialysis Therapy Technologists or Urology Technologists (ISCO Code- 3259)	Diploma of Dialysis Therapy (D.DT)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Bachelor of Dialysis Therapy Technology (B.DTT)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Allied Health Sciences (Renal Dialysis Technology))	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Allied Health Sciences (Dialysis Technology))	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Renal Dialysis Technology)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Dialysis Technology)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Dialysis Therapy)	Four years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	B.Sc. (Renal Replacement Therapy and Dialysis Technology)	Four years	Regular	-
	B.Sc. (Urology Technology)	Three years + one year internship	Regular	-
	B.Sc. Allied Health Sciences (Urology Technology)	Three years + one year internship	Regular	-

Degree Nomenclature for Registration of Allied and Healthcare Professionals

Recognised Category No: **10**

Recognised Category Name: **Health Information Management**

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Health Information Management Professional (Including Medical Records Analyst) & Health Information Management Technologist (ISCO Code-3252)	Diploma of Health Information Management (D.HIM)	Two years and six months (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Bachelor of Science in Health Information Management B.Sc. (HIM)	Four years	Regular	-
	Master of Science in Health Information Management M.Sc. (HIM)	Two years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
Clinical Coder (ISCO Code-3252) Medical Secretary and Medical Transcriptionist (ISCO Code-3344)	Diploma in Medical Records Science	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	Diploma should be Government approved or Government recognised programme. Diploma Courses by Non-Govt. Boards/bodies shall not be considered.
	Diploma in Medical Record Technology	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	PG Diploma in Medical Records Science	Two years (minimum 2000 hours)	Regular	
	Bachelor of Science in Medical Records Technology (B.Sc. MRT)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. in Medical Record Science (B.MRSc.)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Health Information Management) B.Sc. (HIM)	Minimum Three years	Regular	-
	B.Sc. (Health Information Administration /BSc. Health Information & Administration) B.Sc. (HIA)	Minimum Three years	Regular	-
	M.Sc. (Hospital & Health Information Administration) M.Sc.(HHIA)	Two years	Regular	-
	M. App.Sc. in Medical Documentation	Two years	Regular	-
	M.Sc. in Medical Documentation	Two years	Regular	-
	M.Sc. (Health Information Management)	Two years	Regular	-

Profession	Recognised qualification	Course Duration	Mode of learning	Remarks
	M.Sc. (HIM)			

Note:

- M. App.Sc. means Master of Applied Science

Additional Qualification:

An Allied and Healthcare Professional who possesses a recognised basic allied and healthcare qualification and subsequently has obtained recognised post-graduation or Ph. D in respective under-graduation program from a UGC recognized university shall be considered for additional qualification.

SCHEDULE -II**FORM R-1**

[See regulation 4 (2)]

**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE CENTRAL OR STATE ALLIED AND
HEALTHCARE PROFESSIONAL'S REGISTER AND FOR ISSURANCE OF CERTIFICATE OF
REGISTRATION**

1. Name of the applicant [In Block Letters]:
2. Gender: Male/Female/Others
3. Age:
4. Date of birth:
5. Place of birth
6. Father's Name:
7. Mother's Name:
8. Are you a Citizen of India:
 - a. By Birth or
 - b. by domicile
9. Permanent Address:
10. Present occupation and address
11. E-mail:
12. Mobile No.:
13. Details of Valid ID Proof (AADHAAR/ Passport/ Voter ID):
14. Details of payment of fee towards registration
15. Details of educational qualifications prior to/ other than allied and healthcare qualifications

Recent passport size
photograph

Educational Qualification	Name of School/ College	Board/ University	Year of Passing
Matriculation or equivalent			
Senior Secondary or equivalent			

16. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied:

Name of Qualification (s)	Name of Institute/ College	University	Duration of the Course (with internship)	Name & address of hospital/ institute of	Date of admission and Year of Passing
---------------------------	----------------------------	------------	--	--	---------------------------------------

				internship	

17. States in which the applicant is desirous of practicing the recognised profession:
 18. Any other remark/ information including experience that applicant wants to submit:

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

(Signature of the Applicant)

Name: _____

Note:

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with the application:
 - a. Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/ or Dean of the college that applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded with the Registered Certificate:
 - b. Duly attested copy of certificate of practice/ completion of internship (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.
 - c. Provisional registration certificate in original.
 - d. Soft copy of curriculum followed in the Programme
 - e. Two recent passport size photographs front view.
 - f. Signature on two self-adhesive slips provided with application
 - g. Evidence of Experience
3. Proof of application fee for registration to be enclosed.

FORM R-2

[See regulations 4(7), 8(1), 16(1)]

Application Form for Modification of Details in the Central/State Allied and Healthcare Professionals' Register

1. Name of the Professional:
2. Registration Number:
3. UID Number:
4. Details to be changed in the Central/State Register:
5. Rationale for need to change in details of Central/State Register:
6. Attach relevant documents as Commission may specify based on the type of detail to be changed in the Central/State Register.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

(Signature of the Applicant)

Name: _____

FORM R-3

[See regulations 9(5) and 14(1)]

Application Form for Renewal of Registration in the Central/State Allied and Healthcare Professionals' Register and for Issuance of Certificate of Renewal

1. Name of the Professional:
2. Registration Number:
3. UID Number:
4. Registered recognised qualification(s) with year of obtaining:
5. Address and Phone No. as given in the Central/State Register:
6. Present Address in Block Capitals with Pin code & Phone No.
7. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No.
8. Payment details:

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

(Signature of the Applicant)

Name: _____

FORM R-4

[See regulations 11 and 15 (1)]

Application Form for Issuance of Duplicate Certificate

1. Name of the Professional:
2. Registration Number:
3. Number of Certificate of Renewal (if applicable):
4. Date of issuance of Certificate of Registration / Certificate of Renewal (as applicable):
5. UID Number:
6. Registered recognised qualification(s) with year of obtaining:
7. Address and Phone No. as given in the Central/State Register:
8. Present Address in Block Capitals with Pin code & Phone No.
9. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No.
10. Duplicate of Certificate of Registration / Certificate of Renewal (specify as applicable)
11. Payment details:
12. Detailed reason for issuance of duplicate certificates with supporting documentation.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

(Signature of the Applicant)

Name: _____

FORM R-5A

[See regulation 19(1)]

**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION FOR FOREIGN QUALIFIED ALLIED AND
HEALTHCARE PROFESSIONAL ISSURANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION (FOR
CITIZEN OF INDIA)**

1. Name of the applicant [In Block Letters]:
2. Profession with Category:
3. Gender: Male/Female/Others
4. Age:
5. Date of birth:
6. Place of birth
7. Father's Name:
8. Mother's Name:
9. Are you a Citizen of India:
 - a. By Birth or
 - b. by domicile
10. Permanent Address:
11. Present occupation and address:
12. State of Residence:
13. E-mail:
14. Mobile No.:
15. Details of Valid ID Proof (AADHAAR/ Passport/ Voter ID):
16. Details of payment of fee towards registration:
17. Details of educational qualifications prior to/ other than allied and healthcare qualifications

Recent passport size
photograph

Educational Qualification	Name of School/ College	Board/ University	Year of Passing
Matriculation or equivalent			
Senior Secondary or equivalent			

18. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied:

Nomenclature of Qualification (s) and Medium	Name of Institution	Name of the University along with Address	Name of regulatory authority recognizing the university/ and the course/ program and country	Duration of the Course/ Program and Mode of Learning	Month and Year of Admission	Month and Year of passing

19. Details of Internship/ Clinical Training / Field Work (If any):

Name of the Program (Internship/ Clinical Training/ Field Work)	Name & Address of Organisation (s)	Date of commence of Program	Date of completion of Program	Total hours	Description of duties

20. Professional Experience:

S No	Designation	Name and Address of the Organization incl name of the Country	From	To	License/ Professional Registration Number	Name of the Issuing Authority with complete address

21. Details of Passport:

Passport No	Date of Issue	Date of Expiry	

22. No Object Certificate from Regulatory Body where previously registered if any:

23. Have you ever faced cancellation, suspension, or revocation of any medical/allied and healthcare license, permit, or registration by any country or regulatory authority?

☐ Yes ☐ No

24. Have you been involved in or are you currently facing any legal, disciplinary, or regulatory proceedings related to your medical or professional practice in any country?

☐ Yes ☐ No

25. Intendent State(s) to Practice:

26. Any other remark/ information that applicant wants to submit.

Declaration:

I hereby solemnly declare that:

- I. I have carefully read, understood, and agree to abide by all applicable rules, regulations, guidelines, and instructions issued by the National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) and other competent authorities in India.
- II. I understand that any permission, registration, provisional registration, or temporary license granted to me shall not be construed as a vested right for regular or permanent registration in India, and that such permission is valid only for the approved purpose and period.

- III. I declare that I am medically fit to practice/study as an allied and healthcare professional in India.
- IV. I hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I understand that if the information given by me is proved as false statement, suppression of facts, or misrepresentation may lead to rejection or cancellation of my registration/license and may attract legal action per the applicable laws.

Signature of Applicant

Date:

Note: -

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with the application:
 - a. Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/ or Dean of the college that applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded with the Registered Certificate:
 - b. Duly attested copy of certificate of practice/ completion of internship (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.
 - c. Provisional registration certificate in original, if issued.
 - d. Two recent passport size photographs front view.
 - e. Signature on two self-adhesive slips provided with application
 - f. All other supporting documents mentioned in the application form
 - g. Evidence of Experience
3. Proof of application fee for registration to be enclosed.
4. Self-attested copy of Indian Passport

FORM R –5B

[See regulation 21(1)(b) and 21(2)(b)]

APPLICATION FORM FOR TEMPORARY REGISTRATION FOR FOREIGN QUALIFIED ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION (FOR CITIZEN OF INDIA)

1. Name of the applicant [In Block Letters]:
2. Profession with Category:
3. Gender: Male/Female/Others
4. Age:
5. Date of birth:
6. Place of birth
7. Father's Name:
8. Mother's Name:
9. Are you a Citizen of India:

Recent passport
size photograph

- a. By Birth or
- b. by domicile
10. Permanent Address:
11. Present occupation and address:
12. State of Residence:
13. E-mail:
14. Mobile No.:
15. Details of Valid ID Proof (AADHAAR/ Passport/ Voter ID):
16. Purpose of Registration (Please tick wherever applicable):
 - ☐ Higher Studies / Academic Bridging
(e.g., PG (degree/diploma), Fellowship, Research Work)
 - ☐ Workshop/Training ☐ Teaching ☐ Observership ☐ Clinical Work
 - ☐ Community Healthcare work ☐ Events (Sports/ Cultural/ any other)
17. Information related programme content, duration, training facilities, teaching and infrastructure facilities (Details should be available on the website of the Recognised Institution):
18. Details of fee being charged by the Recognised Institution:
19. Number of participants enrolled per hands on certificate programme/ clinical training/ observership/ hands on workshop (which shall not exceed 30 individuals at any given time):
20. Details of payment of fee towards registration with the Commission:
21. Details of educational qualifications prior to/ other than allied and healthcare qualifications

Educational Qualification	Name of School/ College	Board/ University	Year of Passing
Matriculation or equivalent			
Senior Secondary or equivalent			

22. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied:

Nomenclature of Qualification (s) and Medium	Name of Institution	Name of the University along with Address	Name of regulatory authority recognizing the university/ and the course/ program and country	Duration of the Course/ Program and Mode of Learning	Month and Year of Admission	Month and Year of passing

23. Details of Internship/ Clinical Training / Field Work (If any):

Name of the Program (Internship/ Clinical Training/ Field Work)	Name & Address of Organisation (s)	Date of commencement of Program	Date of completion of Program	Total hours	Description of duties

24. Professional Experience and details off registration certification (if applicable) for practice conducted outside India:

S No	Designation	Name and Address of the Organization incl name of the Country	From	To	License/ Professional Registration Number	Name of the Issuing Authority with complete address

25. Details of Passport:

Passport No	Date of Issue	Date of Expiry	

26. Details of Stay:

- i. Duration of Stay in India (in months/days):
- ii. Expected start date:
- iii. Expected End date:
- iv. Place/ District/ State:
- v. Name of Institution/ Hospital/Clinic/laboratory etc
- vi. Address along with supporting documents (letter of acceptance/ invitation etc.)

27. Please list the Countries which have already granted similar Permission/ License?

Name of the Country	Name of the Regulatory Body	License/ Permission/ Reference Number if any

28. No Object Certificate from Regulatory Body where previously registered if any:

29. Have you ever faced cancellation, suspension, or revocation of any medical/allied and healthcare license, permit, or registration by any country or regulatory authority?

☐ Yes ☐ No

30. Have you been involved in or are you currently facing any legal, disciplinary, or regulatory proceedings related to your medical or professional practice in any country?

☐ Yes ☐ No

31. Intendent State(s) to Practice:
32. Any other information/remarks that applicant wants to submit.

Declaration:

I hereby solemnly declare that:

- I. I have carefully read, understood, and agree to abide by all applicable rules, regulations, guidelines, and instructions issued by the National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) and other competent authorities in India.
- II. I understand that any permission, registration, provisional registration, or temporary license granted to me shall not be construed as a vested right for regular or permanent registration in India, and that such permission is valid only for the approved purpose and period.
- III. I declare that I am medically fit to practice/study as an allied and healthcare professional in India.
- IV. I hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I understand that if the information given by me is proved as false statement, suppression of facts, or misrepresentation may lead to rejection or cancellation of my registration/license and may attract legal action per the applicable laws.

Signature of Applicant

Date:

Note: -

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with the application:
 - a. Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/ or Dean of the college that applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded with the Registered Certificate:
 - b. Duly attested copy of certificate of practice / completion of internship (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.
 - c. Provisional registration certificate in original, if issued.
 - d. Two recent passport size photographs front view.
 - e. Signature on two self-adhesive slips provided with application
 - f. All other supporting documents mentioned in the application form
 - g. Evidence of Experience
3. Proof of application fee for registration to be enclosed.
4. Self-attested copy of Indian Passport

FORM R –5C

[See regulation 22(1)]

**APPLICATION FORM FOR TEMPORARY REGISTRATION FOR SPONSORED FOREIGN
QUALIFIED ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ISSUANCE OF CERTIFICATE OF
REGISTRATION (FOR FOREIGN CITIZEN)**

1. Name of the applicant [In Block Letters]:
2. Profession with Category:
3. Gender: Male/Female/Others
4. Age:
5. Date of birth:
6. Place of birth
7. Father's Name:
8. Mother's Name:
9. Nationality:
10. Permanent Address:
11. Present occupation and address:
12. E-mail:
13. Mobile No.:
14. Purpose of Registration (Please tick wherever applicable):
 - ☐ Higher Studies / Academic Bridging
(e.g., PG (degree/diploma) , Fellowship, Research Work)
 - ☐ Workshop/Training ☐ Teaching ☐ Observership ☐ Clinical Work
 - ☐ Community Healthcare work ☐ Events (Sports/ Cultural/ any other)
15. Details of payment of fee towards registration:
16. Details of educational qualifications prior to/ other than allied and healthcare qualifications

Recent passport size
photograph

Educational Qualification	Name of School/ College	Board/ University	Year of Passing
Matriculation or equivalent			
Senior Secondary or equivalent			

17. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied:

Nomenclature of Qualification (s) and Medium	Name of Institution	Name of the University along with Address	Name of regulatory authority recognizing the university/ and the course/ program and	Duration of the Course/ Program and Mode of Learning	Month and Year of Admission	Month and Year of passing

			country			

18. Details of Internship/ Clinical Training / Field Work (If any):

Name of the Program (Internship/ Clinical Training/ Field Work)	Name & Address of Organisation (s)	Date of commence of Program	Date of completion of Program	Total hours	Description of duties

19. Professional Experience:

S No	Designation	Name and Address of the Organization incl name of the Country	From	To	License/ Professional Registration Number	Name of the Issuing Authority with complete address

20. Details of Passport:

Name of the Country	Passport No	Date of Issue	Date of Expiry

21. Details of VISA:

VISA Number	VISA Type	Date of Issue	Date of Expiry

22. Details of Stay:

- i. Duration of Stay in India (in months/days):
- ii. Expected start date:
- iii. Expected End date:
- iv. Place/ District/ State
- v. Name of Institution/ Hospital/Clinic/laboratory etc
- vi. Address supporting documents (letter of acceptance/ invitation etc.)

23. Please list the Countries which have already granted similar Permission/ License?

Name of the Country	Name of the Regulatory Body	License/ Permission/ Reference Number if any

24. No Object Certificate from Regulatory Body where previously registered if any:

25. Have you ever faced cancellation, suspension, or revocation of any medical/allied and healthcare license, permit, or registration by any country or regulatory authority?

☐ Yes ☐ No

26. Have you been involved in or are you currently facing any legal, disciplinary, or regulatory proceedings related to your medical or professional practice in any country?

☐ Yes ☐ No

27. Intendent State(s) to Practice:

28. Emergency Contact Information:

(i) Name of the Person:

(ii) Relationship with the applicant:

(iii) Address:

(iv) Mobile Number

(v) E-mail Id:

29. Do you have any contact in India: ☐ Yes ☐ No

If Yes:

(i) Name of the Person:

(ii) Relationship with the applicant:

(iii) Address:

(iv) Mobile Number

(v) E-mail Id:

30. Any other remark/ information that applicant wants to submit.

Declaration:

I hereby solemnly declare that:

- I. I have carefully read, understood, and agree to abide by all applicable rules, regulations, guidelines, and instructions issued by the National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) and other competent authorities in India.
- II. I understand that any permission, registration, provisional registration, or temporary license granted to me shall not be construed as a vested right for regular or permanent registration in India, and that such permission is valid only for the approved purpose and period.
- III. I declare that I am medically fit to practice/study as an allied and healthcare professional in India.
- IV. I hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I understand that if the information given by me is proved as false statement, suppression of facts, or misrepresentation may lead to rejection or cancellation of my registration/license and may attract legal action per the applicable laws.

Signature of Applicant

Date:

Note: -

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with the application:
 - a. Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/ or Dean of the college that applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded with the Registered Certificate:
 - b. Duly attested copy of certificate of practice / completion of internship (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.
 - c. Provisional registration certificate in original, if issued.
 - d. Two recent passport size photographs front view.
 - e. Signature on two self-adhesive slips provided with application
 - f. All other supporting documents mentioned in the application form
 - g. Evidence of Experience
3. Proof of application fee for registration to be enclosed.
4. Self-attested copy of Passport

FORMAT - A

[See regulation 20(5)]

Certificate No: NCAHP/

UID Number: TR-

Full Name	
(M)/(F)/ Other	
Name of the Father/ Mother	
Permanent Address	
Qualification/ Equivalence	
Name/ Category of the Profession	
Validity of certificate	

It is hereby certified that this is a true copy of the above specified Name in the Central Allied and Health Professional's Register

(SEAL)
Secretary to the NCAHP
New Delhi

Dated the

SCHEDULE III
[See regulation 24]

1. Registration No.:
2. Name:
3. Father's Name / Mother's Name
4. Gender:
5. Date of registration
6. State (based on registration with concerned State Register):
7. Name of place of work/practice
8. Primary Qualification:
9. Additional Qualification(s):
10. Specialty:
11. Year of passing the qualification:
12. Name of the concerned Institute(s)/University(s) (where qualification was obtained):
13. Period of valid registration:
14. UID Number:
15. States of practice (based on intimations provided by allied and healthcare professionals from time to time):
16. Status (Active / Inactive):

UMESH BALONDA, Secy., National Commission for Allied and Healthcare Profession

[ADVT.-III/4/Exty./319/2026-27]